

सूचना विवरणिका
लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के अर्न्तगत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये
17 मैनुअल
(धारा 4(1)ख के अनुपालन में)
मैनुअल संख्या 01 से 17
संस्करण (2025–26)
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अनुक्रमणिका मैनुअल 01-17

| क्र०स० | विवरण | पृ० सं० |
|--------|--|---------|
| 1 | भाग-1: मैनुअल 1 संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य | 05-37 |
| 2 | भाग-1: मैनुअल 2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य | 38-42 |
| 3 | भाग-1: मैनुअल 3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है | 42-44 |
| 4 | भाग-1: मैनुअल 4 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड | 44-45 |
| 5 | भाग-2: मैनुअल 5 अपने नियंत्रणाधीन धारित अथवा अपने कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किये गये नियम, विनयम, अनुदेश, निर्देशिक एवं अभिलेख | 45-46 |
| 6 | भाग-3: मैनुअल 6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण | 47-48 |
| 7 | भाग-3: मैनुअल 7 किसी व्यवस्था के विशिष्टियाँ जो उनकी नीति की संरचना या उनके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभयावेदन के लिए विद्यमान है | 49-50 |

| | | |
|----|--|-------|
| 8 | भाग-3: मैनुअल 8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिसका उनके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी | 50-53 |
| 9 | भाग-1: मैनुअल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | 53-55 |
| 10 | भाग-1: मैनुअल 10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है | 56 |
| 11 | भाग-3: मैनुअल 11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की | 57-61 |
| 12 | भाग-3: मैनुअल 12 सहायिकी कार्यक्रमों में निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के व्यौरे सम्मिलित है | 62 |
| 13 | भाग-3: मैनुअल 13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ | 62-67 |
| 14 | भाग-3: मैनुअल 14 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ | 68 |

| | | |
|----|--|-------|
| 15 | भाग-3: मैनुअल 15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है | 69 |
| 16 | भाग-3: मैनुअल 16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ | 69-73 |
| 17 | भाग-3: मैनुअल 17 ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए | 74 |

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-01
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (धारा 04(1)ख(i))

उत्तराखण्ड को एक ऐसे आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना, जो यहा के निवासियों हेतु उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवर्तन, कला, विज्ञान एवं संस्कृति का संपोषण, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के उच्चतम उन्नयन का सुनिश्चयन, प्रत्येक की आवश्यकतानुसार रोजगारपरक कौशलों में समुचित प्रशिक्षण के द्वारा निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन तथा राज्य के समेकित विकास में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं शोध केन्द्रों की संवृद्धि और विज्ञान व तकनीकी के प्रयोग हेतु एक उचित परिवेश एवं संरचना का सृजन करने में सहायक हो सकें। इसी उद्देश्य और परिकल्पना के साथ उत्तराखण्ड शासन (तत्कालीन उत्तरांचल) द्वारा वर्ष 2001 में उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड की स्थापना हल्द्वानी (नैनीताल) में की गई।

उच्च शिक्षा विभाग का ध्येय

माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति के उपरान्त युवाओं को आवश्यकता एवं मांग के अनुसार उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना, शोधपरक विकास का प्रवर्तन करना।

- पारम्परिक शिक्षा के साथ-साथ पेशेवर एवं रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित करना।
- उत्तराखण्ड राज्य को ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित कर एक जागृत व समृद्ध राज्य बनाना।
- कला, संस्कृति एवं विज्ञान का विकास, युवावर्ग के व्यक्तित्व, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में निश्चित रूप से सहायक होगा, जिनमें सूचना एवं तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान होगा।
- उत्तराखण्ड के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे वह वैश्विक चुनौतियों का बेहतर रूप में सामना कर सकें।

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

- प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके कार्यों का दायित्व।

- प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
- प्राध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के दौरान सम्बन्धित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
- भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति।
- सेवानिवृत्ति पर भविष्यनिधि में जमा अन्तिम देय धनराशि की स्वीकृति।
- उच्च शिक्षा में सम्बन्धित न्यायालय वाद सम्बन्धी कार्य।
- शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।

उच्च शिक्षा विभाग के उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी योग्य विद्यार्थियों को पेशेवर शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- नवोदित ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षित एवं कौशल युक्त प्रशिक्षित मानव संपदा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना।
- राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारपरक कौशल में और प्रौढ़ व रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के कौशल विकास में अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना में निजी विनियोग को आकर्षित करना।

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा: उद्भव एवं विकास

उच्च शिक्षा के प्रति उत्तराखण्ड के निवासियों का प्रारम्भ से ही रुझान रहा है, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्डवासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वातन्त्र्योत्तर काल में हुई, किन्तु उच्च शिक्षा का वास्तविक प्रसार सत्तरादि के दशक से प्रारम्भ हुआ, जबकि असेवित एवं दूर दराज के क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों की विशिष्ट स्थिति में उच्च शिक्षा के अवसरों तक सामान्य जनता की पहुँच सुलभ बनाई जा सके। राज्य गठन के पूर्व महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी तथा

उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न नवीन चुनौतियों एवं अवसरों के साथ समायोजन करने में असमर्थ थी। राज्य गठन के पश्चात शासन द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के सुनिश्चयीकरण हेतु बजट में निरन्तर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी तथा नवोन्मेशों का उपयोग प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रगति को निम्नांकित 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की प्रगति

(क) प्रवर्तक एवं प्रारम्भिक विकास की अवस्था : (सन् 1970 से पूर्व)

- डी0ए0वी0 अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना (1946)
- रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना (1949)
- प्रथम अशासकीय महाविद्यालय डी0एस0बी0 महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना (1951)
- अल्मोड़ा कॉलेज की स्थापना (1954)
- एम0के0पी0 कॉलेज की स्थापना (1958)
- पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की स्थापना (1960)

(ख) प्रसार एवं समृद्धि की अवस्था : (राज्य गठन से पूर्व)

- सत्तरादि के दशक में 15, अस्सी के दशक में 05 तथा नब्बे के दशक में 09 शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा 03 अशासकीय महाविद्यालयों-एम0बी0 हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं काशीपुर के प्रान्तीकरण से शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 34 हुई।
- संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड कार्यालय, हल्द्वानी की स्थापना 1996 में।
- कुमाऊँ, गढ़वाल तथा 02 डीम्ड विश्वविद्यालयों (हरिद्वार एवं देहरादून) की स्थापना।

(ग) तीव्र प्रसार एवं समृद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण के प्रति चेतना की अवस्था: (राज्य गठन के पश्चात)

- उच्च शिक्षा के संवर्द्धन, आधुनिकीकरण, विकास एवं सुदृढीकरण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्थान की हल्द्वानी(नैनीताल) में स्थापना की गई (2001)
- शासन स्तर पर समन्वयकारी भूमिका के निर्वहन एवं अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु देहरादून में उच्च शिक्षा (शिविर कार्यालय) की स्थापना की गई, जिसमें उपनिदेशक द्वारा शिविर कार्यालय का कार्य संचालन प्रारम्भ किया गया (2002)।

- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय देवप्रयाग का प्रान्तीकरण तथा चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर अनुदान सूची में सम्मिलित।
- वर्ष 2001-02 में 15, वर्ष 2003-04 में 01, वर्ष 2004-05 में 02, तथा 2005-06 में 02 वर्ष 2006-07 में नये 10, वर्ष 2008-09 में 02, वर्ष 2009-10 में 02, वर्ष 2010-11 में 01, वर्ष 2013-14 में 10, वर्ष 2015-16 में 04, 2016-17 में 05, वर्ष 2017-18 में 01, वर्ष 2018-19 व 2019-20 में 01-01, 2020-21 में 01, 2021-22 में 12, 2023-24 में 02 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में बाल गंगा महाविद्यालय सेन्दुल कैमर (टिहरी गढ़वाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2015 में राठ महाविद्यालय, पैठाणी (पौड़ी गढ़वाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2016 में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, हल्द्वौड़ (नैनीताल) का प्रान्तीयकरण किया गया।
- वर्ष 2017 में चमनलाल महाविद्यालय, लंडौर (हरिद्वार) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2019 में हर्ष विद्या मंदिर, रायसी को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- 2020 में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा की पृथक से स्थापना की गयी।
- वर्ष 2017 में क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, देहरादून में स्थापित तथा वर्ष 2021 में श्रेत्रीय कार्यालय हेतु भूमि एवं भवन निर्माण की प्रशासनिक/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वर्ष 2021 में उच्च शिक्षा निदेशालय परिसर के अन्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कर्मचारियों के आवासीय भवन का कार्य निर्माण कार्य पूर्ण।
- वर्ष 2021 में धनौरी पी0जी0 कॉलेज एवं हरिओम सरस्वती पी0जी0 कॉलेज धनौरी, हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2022 में स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलबपु, रुड़की को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2022 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के परिसर बनाये जाने की प्रक्रिया सम्पन्न हुई।
- वर्ष 2023 तक कुल 116 राजकीय महाविद्यालय एवं 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय संचालित।

- वर्ष 2023 में 02 नवीन राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट (हरिद्वार) तथा राजकीय महाविद्यालय लोस्तु बडियार (टिहरी गढ़वाल) का सृजन किया गया।
- वर्ष 2024 तक कुल 118 राजकीय महाविद्यालय एवं 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय संचालित।
- समर्थ पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार पर उच्च शिक्षा के समस्त कार्मिकों का पंजीकरण।
- समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही शासकीय महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत व्यक्तिगत प्रोन्नति प्रक्रिया ऑनलाइन।
- उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट का नवीनीकरण एल0एम0सी0 का निर्माण।
- एन0आई0सी0 भारत सरकार के सहयोग से राज्य में ई-ग्रंथालय संचालित जिसके अन्तर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालय पंजीकृत, समस्त विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान 16 लाख से अधिक की पुस्तकें सूचीबद्ध, कॉपीराइट मुक्त पाठ्य सामग्री सुलभ।
- समस्त महाविद्यालयों का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर पंजीकरण।
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों हेतु अमृता विश्वविद्यालय केरल के सहयोग से वर्चुअल लैब की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- वर्ष 2024-25 में नवीन राजकीय महाविद्यालय, बिथ्याणी, यमकेश्वर में शासन द्वारा विज्ञान संकाय के संचालनार्थ 14 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग में बी0एस0सी0 कक्षाओं के संचालन हेतु राजकीय महाविद्यालय, जैती से 07 पदों को हस्तांतरित किया गया है।
- राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्फोसिस बैंगलुरु के साथ एम0ओ0यू0 समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।
- सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को समय पर सेवाएं देने हेतु अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में महाविद्यालय स्तर से निम्न प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं:-
 1. चरित्र प्रमाण पत्र
 2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
 3. बोनाफाइट प्रमाण पत्र
 4. अदेय प्रमाण पत्र

राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

(अ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय :

| क्र०स० | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|--------|---|--|
| 1 | हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) | 1973 (15 जनवरी, 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय) |

(ब) राज्य विश्वविद्यालय

| क्र०स० | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|--------|--|--------------|
| 1 | गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर उ०सि०ग०) | 1960 |
| 2 | कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल | 1973 |
| 3 | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल | 2005 |
| 4 | उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विविध अकादमी, भवाली, नैनीताल | 2011 |
| 5 | उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 2005 |
| 6 | दून विश्वविद्यालय, देहरादून | 2005 |
| 7 | उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून | 2005 |
| 8 | उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून | 2011 |
| 9 | हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून | 2015 |
| 10 | श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) | 2011 |
| 11 | उत्तराखण्ड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल) | 2011 |
| 12 | सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा | 2020 |

(स) निजी विश्वविद्यालय

| क्र०स० | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|--------|---|--------------|
| 1 | देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शान्तिकुंज, हरिद्वार | 2002 |
| 2 | पेट्रोलियम एवं उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून | 2003 |
| 3 | हिमगिरि जी विश्वविद्यालय, देहरादून | 2003 |
| 4 | इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून | 2003 |
| 5 | पतन्जली विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 2007 |
| 6 | ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, देहरादून | 2011 |
| 7 | डी०आई०टी० विश्वविद्यालय, देहरादून | 2013 |

| | | |
|----|---|------|
| 8 | आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय, देहरादून | 2013 |
| 9 | स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, डोईवाला, देहरादून | 2013 |
| 10 | उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून | 2013 |
| 11 | मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, हरिद्वार | 2015 |
| 12 | रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, देहरादून | 2016 |
| 13 | श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून | 2017 |
| 14 | हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल | 2017 |
| 15 | क्वाटंम विश्वविद्यालय, रूड़की | 2018 |
| 16 | भगवन्त ग्लोबल विश्वविद्यालय, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल | 2018 |
| 17 | हिमालयीय विश्वविद्यालय, जीवनवाला, डोईवाला, देहरादून | 2019 |
| 18 | देवभूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, देहरादून | 2022 |
| 20 | सूरजमल विश्वविद्यालय, किच्छा, उधम सिंह नगर | 2022 |
| 21 | कोर विश्वविद्यालय, रूड़की, हरिद्वार | 2022 |
| 22 | हरिद्वार विश्वविद्यालय, रूड़की, हरिद्वार | 2022 |
| 23 | आम्रपाली विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल | 2024 |
| 24 | डी0बी0एस0 ग्लोबल विश्वविद्यालय, देहरादून | 2024 |
| 25 | माया देवी विश्वविद्यालय, देहरादून | 2024 |
| 26 | माइंड पावर विश्वविद्यालय, नैनीताल | 2024 |
| 27 | श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, उत्तरकाशी | 2024 |

(द) डीमड विश्वविद्यालय

| क्र0स0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|--------|---|--------------|
| 1 | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 2001 |
| 2 | वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून | 1991 |
| 3 | ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून | 2008 |

महाविद्यालयों का जनपदवार विवरण

| कुमाऊँ मण्डल | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| जनपद | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | महायोग |
| नैनीताल | 11 | — | 11 |
| बागेश्वर | 4 | — | 4 |
| अल्मोड़ा | 15 | — | 15 |
| पिथौरागढ़ | 7 | — | 7 |
| चम्पावत | 6 | — | 6 |
| उधम सिंह नगर | 9 | 1 | 10 |
| योग कुमाऊँ | 52 | 1 | 53 |
| गढ़वाल मण्डल | | | |
| जनपद | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | महायोग |
| पौड़ी गढ़वाल | 17 | 1 | 18 |
| चमोली | 11 | — | 11 |
| रूद्रप्रयाग | 4 | — | 4 |
| उत्तरकाशी | 6 | — | 6 |
| टिहरी गढ़वाल | 14 | 1 | 15 |
| देहरादून | 6 | 6 | 12 |
| हरिद्वार | 8 | 12 | 20 |
| योग गढ़वाल मण्डल | 66 | 20 | 86 |
| महायोग (कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल) | 118 | 21 | 139 |

शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों का भौगोलिक क्षेत्रवार विवरण

| जनपद | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | महायोग |
|---------------------------|------------|------------------|-----------|
| पर्वतीय क्षेत्र | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | 63 | 2 | 65 |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 21 | — | 21 |
| व्यावसायिक महाविद्यालय | 1 | — | 1 |
| विधि महाविद्यालय | 1 | — | 1 |
| योग | 86 | 2 | 88 |
| जनपद | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | महायोग |
| मैदानी क्षेत्र | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | 18 | 5 | 23 |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 14 | 14 | 28 |
| विधि महाविद्यालय | — | — | — |
| योग | 32 | 19 | 51 |
| शासकीय महाविद्यालय | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | 81 | 7 | 88 |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 36 | 14 | 50 |
| विधि महाविद्यालय | 1 | — | — |
| महायोग | 118 | 19 | 51 |

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत विभिन्न पदों का विवरण

| क्र० स० | पदनाम | पद की श्रेणी | सृजित पदों की संख्या | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------|-------------|
| | | | नियमित | आउटसोर्स | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| समूह 'क' | | | | | |
| 1 | निदेशक | राजपत्रित | 1 | | 1 |
| 2 | संयुक्त निदेशक | राजपत्रित | 1 | | 1 |
| 3 | उपनिदेशक | राजपत्रित | 3 | | 3 |
| 4 | वित्त नियंत्रक | राजपत्रित | 1 | | 1 |
| 5 | सहायक निदेशक | राजपत्रित | 4 | | 4 |
| 6 | प्राचार्य स्नातक | राजपत्रित | 82 | | 82 |
| 7 | प्राचार्य स्नातकोत्तर | राजपत्रित | 36 | | 36 |
| 8 | पुस्तकालयाध्यक्ष | राजपत्रित | 23 | | 23 |
| 9 | असिस्टेंट प्रोसेसर | राजपत्रित | 2200 | | 2200 |
| | योग | | 2351 | | 2351 |
| समूह 'ख' | | | | | |
| 10 | लेखाधिकारी | राजपत्रित | 1 | | 1 |
| 11 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | राजपत्रित | 24 | | 24 |
| | योग | | 25 | | 25 |
| समूह 'ग' | | | | | |
| 12 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | राजपत्रित | 31 | | 31 |
| 13 | प्रशासनिक अधिकारी | अराजपत्रित | 30 | | 30 |
| 14 | प्रधान सहायक | अराजपत्रित | 70 | | 70 |
| 15 | वरिष्ठ सहायक | अराजपत्रित | 108 | | 108 |
| 16 | कनिष्ठ सहायक | अराजपत्रित | 127 | 39 | 166 |
| 17 | मुख्य वैयक्तिक अधिकारी | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 18 | वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 19 | वैयक्तिक अधिकारी | अराजपत्रित | 3 | | 3 |
| 20 | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | अराजपत्रित | 9 | | 9 |
| 21 | वैयक्तिक सहायक | अराजपत्रित | 10 | | 10 |
| 22 | लेखाकार | अराजपत्रित | 3 | | 3 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 23 | सहायक लेखाकार | अराजपत्रित | 11 | | 11 |
| 24 | लेखा परीक्षक | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 25 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | अराजपत्रित | 70 | | 70 |
| 26 | पुस्तकालय लिपिक | अराजपत्रित | 40 | 31 | 71 |
| 27 | अन्वेषक कम संगणक | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 28 | कम्प्यूटर आपरेटर | अराजपत्रित | 2 | 1 | 3 |
| 29 | प्रयोगशाला सहायक | अराजपत्रित | 349 | 52 | 401 |
| 30 | आर्टिस्ट | अराजपत्रित | 1 | | 1 |
| 31 | स्टोर कीपर | अराजपत्रित | 1 | | 1 |
| 32 | तबला वादक | अराजपत्रित | 9 | | 9 |
| 33 | इलैक्ट्रीशियन / मैकेनिक | अराजपत्रित | 15 | 5 | 20 |
| 34 | तकनीशियन | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 35 | दूर एण्ड ट्रेनिंग असि० | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 36 | टेक्नीशियन फोटोग्राफी | अराजपत्रित | 2 | | 2 |
| 37 | सूचीकार | अराजपत्रित | 1 | | 1 |
| 38 | कैटलोगर | आउटसोर्स | 0 | 2 | 2 |
| 39 | स्टेनोग्राफर / टाईपिस्ट | आउटसोर्स | 0 | 1 | 1 |
| 40 | डाटा इण्ट्री आपरेटर | आउटसोर्स | 0 | 1 | 1 |
| | योग | | 903 | 132 | 1035 |
| समूह 'घ' | | | | | |
| 41 | चतुर्थ श्रेणी | अराजपत्रित | 432 | 678 | 1110 |

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण एवं गुणवत्ता उन्नयन

1994में स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)की एक स्वायत्त संस्था है, जो देश में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करती है।उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 78091/XXIV C-2/2022-56 (2)19देहरादून दिनांक 22नवम्बर 2022 के द्वारा नैक प्रत्यायनसमिति का गठन किया गया। शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के प्रति चेतना जागृत करने, मूल्यांकन/प्रत्यायन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु कार्यशालाओं के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित कराने, गुणवत्ता के सम्बन्ध में विभागीय कार्य योजना तैयार करने तथा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रगति की समीक्षा करने इत्यादि का कार्य करता है।प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को प्रत्यायन के प्रथम चक्र की पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात पुनः प्रत्यायन कराना आवश्यक है। शासन द्वारा गठित समिति के मार्गदर्शन हेतु नैक बेंगलोर में कार्यरत 1. डॉ0बी0एस0 पोन्मुदीराज, 2. श्री के0 आर0 विष्णु महेश, 3. डॉ0 निलेश पाण्डे, को सलाहकार के रूप में शासनादेश संख्या 102958/XXIV-C-2/56(02)2019/2023, देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा नामित किया गया है।

नैक प्रत्यायन हेतु किये गये प्रयास :

नैक प्रत्यायन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में गुणवत्ता एवं नवाचार विषय पर उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों की संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के नामित प्रतिनिधियों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इसी क्रम में उच्च शिक्षा चिंतन शिविर के अन्तर्गत राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा डीआईटी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 07 एवं 08 दिसम्बर, 2022 को आयोजित किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक प्रत्यायन हेतु हैण्ड होल्डिंग प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 फरवरी, 2023 को यूजीसी एस0आ0डी0सी0 कुमायू विश्वविद्यालय नैनीताल तथा दिनांक 25, 26 फरवरी, 2023 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित किया गया। इन सभी प्रशिक्षण

कार्यशालाओं में कुलपति/कुलसचिव, नोडल नैक, आईक्यूसी, राजकीय एवं अशाकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का प्रतिभाग किया गया। 39 विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन कराने हेतु अवस्थापना के विकास सहित अन्य आवश्यक व्यय हेतु ₹0 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी।

नैक प्रत्यायन शासकीय महाविद्यालय विवरण

| क्र० सं० | महाविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इस्टीमेटेशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|---|--|------------------------|------------------|
| 1 | एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी | 2.02 | ग्रेड बी | 10 मार्च, 2025 |
| 2 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर | 1.85 | ग्रेड सी | 22 फरवरी, 2025 |
| 3 | राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर | 1.64 | ग्रेड सी | 28 फरवरी, 2026 |
| 4 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट | 2.36 | ग्रेड बी | 13 फरवरी, 2028 |
| 5 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला | 2.41 | ग्रेड बी | 19 फरवरी, 2028 |
| 6 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट | 2.51 | ग्रेड बी प्लस | 02 मई, 2028 |
| 7 | राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल | 2 | ग्रेड सी | 30 मई, 2028 |
| 8 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत | 2.64 | ग्रेड बी प्लस | 10 जुलाई, 2028 |
| 9 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर | 2.64 | ग्रेड बी प्लस | 20 अगस्त, 2028 |
| 10 | राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी | 2.57 | ग्रेड बी प्लस | 24 अगस्त, 2028 |
| 11 | राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर | 2.67 | ग्रेड बी प्लस | 22 सितम्बर, 2028 |
| 12 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर | 1.79 | ग्रेड सी | 11 अक्टूबर, 2028 |
| 13 | राजकीय महाविद्यालय, चकराता | 2 | ग्रेड सी | 11 अक्टूबर, 2028 |
| 14 | राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी | 2.31 | ग्रेड बी | 13 अक्टूबर, 2028 |
| 15 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार | 2.49 | ग्रेड बी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 16 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुरोला | 1.99 | ग्रेड सी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 17 | राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी | 1.7 | ग्रेड सी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 18 | राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी | 2.19 | ग्रेड बी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 19 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़ | 2.17 | ग्रेड बी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 20 | राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट | 2 | ग्रेड सी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 21 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग | 2.34 | ग्रेड बी | 26 अक्टूबर, 2028 |
| 22 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर | 2.85 | ग्रेड बी प्लस प्लस | 01 नवम्बर, 2028 |
| 23 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गैरसैण | 2.17 | ग्रेड बी | 08 नवम्बर, 2028 |
| 24 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा | 2.28 | ग्रेड बी | 22 नवम्बर, 2028 |
| 25 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लक्सर | 2 | ग्रेड बी | 22 नवम्बर, 2028 |
| 26 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर | 2.34 | ग्रेड बी | 22 नवम्बर, 2028 |
| 27 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी | 2.37 | ग्रेड बी | 22 नवम्बर, 2028 |
| 28 | राजकीय महाविद्यालय, काण्डा बागेश्वर | 2.12 | ग्रेड बी | 21 दिसम्बर, 2028 |

| | | | | |
|----|---|------|---------------|------------------|
| 29 | राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला | 1.83 | ग्रेड सी | 21 दिसम्बर, 2028 |
| 30 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथपोखरी | 1.93 | ग्रेड सी | 21 दिसम्बर, 2028 |
| 31 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ | 1.58 | ग्रेड सी | 21 दिसम्बर, 2028 |
| 32 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैण | 1.84 | ग्रेड सी | 21 दिसम्बर, 2028 |
| 33 | राजकीय महाविद्यालय, कोटाबाग | 2.08 | ग्रेड बी | 29 दिसम्बर, 2028 |
| 34 | राजकीय महाविद्यालय, लम्बगाँव | 2.42 | ग्रेड बी | 07 फरवरी, 2029 |
| 35 | राजकीय महाविद्यालय, जैती अल्मोड़ा | 2.1 | ग्रेड बी | 14 मार्च, 2029 |
| 36 | राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग | 2.51 | ग्रेड बी प्लस | 22 मई, 2029 |
| 37 | राजकीय महाविद्यालय, कण्वघाटी कोटद्वार | 2.14 | ग्रेड बी | 06 जून, 2029 |
| 38 | राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल | 1.97 | ग्रेड सी | 15 जून, 2029 |
| 39 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग | 2.75 | ग्रेड बी प्लस | 21 जून, 2029 |
| 40 | राजकीय महाविद्यालय, अमोडी | 2.22 | ग्रेड बी | 29 अक्टूबर, 2029 |
| 41 | राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ | 2.26 | ग्रेड बी | 05 दिसम्बर, 2029 |
| 42 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट | 2.04 | ग्रेड बी | 25 दिसम्बर, 2029 |
| 43 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल | 2.47 | ग्रेड बी | 15 जनवरी, 2030 |
| 44 | राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला खानुपर | 1.74 | ग्रेड सी | 05 फरवरी, 2030 |

कुल राजकीय महाविद्यालय जहाँ नैक प्रत्यायन हो चुका है :- 44

नैक प्रत्यायनित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय

| क्र० सं० | महाविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इस्टीमेशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|--|--|------------------------|------------------|
| 1 | डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज, देहरादून | 2.46 | ग्रेड बी | 07 जनवरी, 2025 |
| 2 | चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर | 1.82 | ग्रेड सी | 15 नवम्बर, 2026 |
| 3 | एस०जी०आर०आर०पी०जी० कॉलेज, देहरादून | 2.76 | ग्रेड बी प्लस | 21 मार्च, 2027 |
| 4 | श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूडकी, हरिद्वार | 2.77 | ग्रेड बी प्लस | 18 अप्रैल, 2027 |
| 5 | चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा, हरिद्वार | 2.51 | ग्रेड बी प्लस | 02 मार्च, 2028 |
| 6 | बाल गंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल | 1.72 | ग्रेड सी | 14 दिसम्बर, 2028 |
| 7 | आर०एम०पी०जी० कॉलेज, नारसन हरिद्वार | 1.75. | ग्रेड सी | 20 मार्च, 2029 |
| 8 | चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार | 2.09 | ग्रेड बी | 29 जून, 2029 |
| 9 | महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार | 2.19 | ग्रेड बी | 04 सितम्बर, 2029 |
| 10 | राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल | 2.14 | ग्रेड बी | 17 अक्टूबर, 2029 |

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहाँ वर्तमान में नैक प्रत्यायन प्रक्रिया गतिमान है।

| क्र० सं० | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय के नैक प्रत्यायन की प्रास्थिति |
|----------|--|--|
| 1 | डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज, देहरादून | 2.46 |
| 2 | चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर | 1.82 |
| 3 | एस०जी०आर०आर०पी०जी० कॉलेज, देहरादून | 2.76 |
| 4 | श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुडकी, हरिद्वार | 2.77 |
| 5 | चमन लाल महाविद्यालय लंडौरा, हरिद्वार | 2.51 |
| 6 | बाल गंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल | 1.72 |
| 7 | आर०एम०पी०जी० कॉलेज, नारसन हरिद्वार | 1.75 |
| 8 | चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार | 2.09 |
| 9 | महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार | 2.19 |
| 10 | राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल | 2.14 |

नैक प्रत्यायन राज्य विश्वविद्यालय

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इंस्टीट्यूशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|---|---|---------------------|------------------|
| 1 | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | 2.77 | ग्रेड बी प्लस प्लस | 17 अक्टूबर, 2027 |
| 2 | कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल | 2.67 | ग्रेड बी प्लस | 13 सितम्बर, 2028 |
| 3 | दून विश्वविद्यालय, देहरादून | 3.17 | ग्रेड ए | 04 सितम्बर, 2029 |

नैक प्रत्यायनित निजी विश्वविद्यालय

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इंस्टीट्यूशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|--|---|---------------------|------------------|
| 1 | उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून | 3.30 | ग्रेड ए प्लस | 10 जनवरी, 2027 |
| 2 | इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून | 1.78 | ग्रेड सी | 07 फरवरी, 2025 |
| 3 | यू०पी०ई०एस० विश्वविद्यालय देहरादून | 3.02 | ग्रेड ए | 28 फरवरी, 2026 |
| 4 | डी०आई०टी० विश्वविद्यालय, देहरादून | 3.19 | ग्रेड ए | 10 मई, 2028 |
| 5 | पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 3.48 | ग्रेड ए प्लस | 26 सितम्बर, 2029 |
| 6 | स्वामी राम हिमालन विश्वविद्यालय, जौलीग्रान्ट, देहरादून | 3.27 | ग्रेड ए प्लस | 17 अक्टूबर, 2029 |

नैक प्रत्यायनित डीम्ड विश्वविद्यालय

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इंस्टीट्यूशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|---|---|---------------------|-----------------|
| 1 | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 2.38 | ग्रेड बी | 29 नवम्बर, 2027 |
| 2 | ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून | 3.29 | ग्रेड ए प्लस | 22 अगस्त, 2025 |

नैक प्रत्यायनित डीम्ड विश्वविद्यालय

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | ग्रेड प्वाइंट (इंस्टीट्यूशनल सी०जी०पी०ए० स्कोर) | नैक प्रत्यायन ग्रेड | वैधता अवधि |
|----------|---|---|---------------------|------------------|
| 1 | डॉल्फिन पी०जी० इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एण्ड नैचुरल साइंसेज, देहरादून | 2.77 | ग्रेड बी प्लस प्लस | 24 जनवरी, 2027 |
| 2 | तुलाज इन्स्टीट्यूट देहरादून | 3.34 | ग्रेड ए प्लस | 25 अप्रैल, 2027 |
| 3 | मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की हरिद्वार | 1.65 | ग्रेड सी | 18 अप्रैल, 2027 |
| 4 | कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग रुड़की हरिद्वार | 2.73 | ग्रेड बी प्लस | 19 सितम्बर, 2026 |
| 5 | शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग देहरादून | 3.38 | ग्रेड ए प्लस | सितम्बर, 2028 |
| 6 | आर०आई०टी० रुड़की, हरिद्वार | 3.62 | ग्रेड ए प्लस प्लस | सितम्बर, 2028 |

सी0एम0 डैश बोर्ड (के0पी0आई)

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सी0एम0 डैश बोर्ड पर पाँच के0पी0आई0 (Key Performance Indicators) मानकों के आधार पर सतत मूल्यांकन और निगरानी की जाती है। पाँच मानक जिनके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग में सतत मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था लागू है वो निम्नवत हैं—

1. पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रतिशत
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियों का आयोजन
4. FIP/FRP/FDP तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राध्यापकों द्वारा प्रतिभाग
5. विद्यार्थियों के लिए करियर परामर्श का कार्यक्रम
6. स्नातक पूर्ण करने के पश्चात छात्रों का प्लेसमेंट
7. नैक (NAAC) प्रत्यायन की स्थिति

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ-साथ योगा, इकोटूरिज्म, फॉर्मैसी, नर्सरी टेक्नोलॉजी एण्ड ऑरचर्ड मैनेजमेंट, इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डेकोरेशन, फिश टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवर टाइजिंग आदि में 06 माह की अवधि का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय डिप्लोमा के रोजगारपरक/व्यावसायिक रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। साथ ही 10 शासकीय महाविद्यालयों— रुद्रपुर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, कोटद्वार, काशीपुर, गोपेश्वर, रानीखेत, रामनगर, हल्द्वानी तथा ऋषिकेश में वानिकी एवं वन्य जन्तु प्रबन्धन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवर टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एण्ड सेल्स मैनेजमेन्ट, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एवं वाइल्ड लाईफ मैनेजमेन्ट, बायोलॉजिकल टेक्नीक्स एवं स्पेसिमैन प्रिपरेशन, मृदा संरक्षण एवं जलागम प्रबन्धन, बायोटेक्नोलॉजी, औद्योगिक रसायन, ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस, फॉरेन ट्रेडप्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन आदि व्यावसायिक

पाठ्यक्रम यू0जी0सी0 के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 शासकीय महाविद्यालयों में एवं 02 अशासकीय महाविद्यालयों में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से अनेक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 16 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित है। दूरस्थ शिक्षा केन्द्र के रूप में उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के निमित्त उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हित धारकों में कौशल विकास के उद्देश्य से विभिन्न 44 राजकीय महाविद्यालयों में उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों के अनुरूप स्ववित्त पोषण के माध्यम से कौशल विकास हेतु विभिन्न कोर्सों के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है। शहीद भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर में दीन दयाल कौशल विकास केन्द्र के तहत बी0 वोक0 एवं अन्य कोर्स संचालित हैं। इस केन्द्र का वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में रोजगार सृजन हेतु उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कुल 65 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित किये जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित योजनाएं

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, साम्य तथा सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित रूसा फेज 1 एवं फेज 2 के विभिन्न घटकों में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक कुल रू0 255.46/-करोड़ (रू0 दो करोड़ छियालीस लाख मात्र) की धन राशि के विभिन्न परियोजना कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस योजना में पर्वतीय राज्यों के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 निर्धारित था।

रूसा परियोजना अन्तर्गत फेज-1 के आधार भूत सुविधाओं के संरचनात्मक विकास हेतु 04 विश्वविद्यालयों, 37 महाविद्यालयों एवं 01 मानव संसाधन विकास केन्द्र कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल को अनुदान उपलब्ध कराया गया।

रूसा फेज-2 के आधार भूत सुविधाओं के संरचनात्मक विकास हेतु 24 महाविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तृतीय चरण में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी0एम0 ऊषा) के तहत जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 स0 | योजना का नाम | ईकाई | लक्ष्य | पूर्ति | | अभ्युक्ति |
|------------|---|------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | माह में प्रति | क्रमिक पूर्ति | |
| 1 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 42 | 42 | 42 | 42 | रूसा के प्रथम चरण में प्रदेश के 04 वि0वि0 01 एकेडमिक कॉलेज (कुमांऊ वि0वि0 नैनीताल) एवं राजकीय महाविद्यालय तथा 01 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | <p>अशासकीय महाविद्यालय निर्माण, पुर्ननिर्माण, नई सुविधाओं हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।</p> <p>भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि रू0 158.46 करोड़। राज्य सरकार द्वारा कुल जारी अनुदान धनराशि रू0 157.854 करोड़ (रू0 140.814 करोड़ केन्द्रांश + रू0 17.040 करोड़ राज्यांश) माह जनवरी, 2024 तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा उपयोग की गई धनराशि रू0 157.823 करोड़</p> |
| 2 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 26 | 26 | 24 | 24 | <p>रूसा द्वितीय चरण में प्रदेश के 02 वि0वि0, 24 महाविद्यालयों में निर्माण/पुर्ननिर्माण एव नवीन सुविधाओं के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है।</p> <p>भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 137 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान धनराशि रू0 95.787 करोड़ (रू0 86.175 करोड़ केन्द्रांश +रू0 9.612 करोड़ राज्यांश) माह जनवरी, 2024 तक</p> |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | वि०वि० / महाविद्यालयों द्वारा उपयोग की गई धनराशि रू० 95.787 करोड़ |
| 3 | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान | 8 | 8 | 8 | 8 | <p>रूसा परियोजना के तृतीय चरण में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी०एम०ऊषा) के तहत शिक्ष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बहुविषयक शैक्षणिक एवं शोध विश्वविद्यालय (मेरू) के रूप में कुमाऊँ विश्वविद्यालय को चयनित करते हुए रू० 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। विश्वविद्यालय सुदृढीकरण अनुदान (जी०एस०यू०) के तहत रू० 20 करोड़ की अनुदान धनराशि दून विश्वविद्यालय, देहरादून को स्वीकृत की गयी है।</p> <p>महाविद्यालयों के सुदृढीकरण के तहत रू० 20 करोड़ की अनुदान धनराशि प्रति महाविद्यालय रू० 5 करोड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग, रानीखेत राजकीय महाविद्यालय, खिर्सू एवं पाटी को स्वीकृत किया गया है। समता पहल के तहत रू० 10 करोड़ राजकीय</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर एवं व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी को स्वीकृत की गयी है।</p> <p>पी0एम0 ऊषा योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को स्वीकृत कुल रू0 160 करोड़ की अनुदान राशि के आवंटन हेतु भारत सरकार द्वारा एस0एन0ए0 स्पर्श में चयनित कर प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश रू0 9 करोड़ 80 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 1.08 करोड़ की धनराशि उक्त संस्थाओं को आवंटित कर दी गयी है।</p> |
|--|--|--|--|--|---|

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

वर्ष 2024-25 हेतु प्रमुख नवोन्मेषी योजनाओं का विवरण

उच्च शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाएँ:-

| क्र० सं० | उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ | योजना का लाभ | पात्रता/लाभार्थी |
|----------|---|------------------------|---|
| 1 | राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना | 50000/- प्रति अभ्यर्थी | राज्य लोक सेवा आयोग, समूह "क" एवं "ख" संघ लोक सेवा आयोग, समूह "क" एवं "ख" एवं आर्म्ड फोर्सस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को कोचिंग हेतु योजना। शासनादेश संख्या 782 दिनांक 10.08.2021 एवं शासनादेश संख्या 1334 दिनांक 10.12.2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है। |
| 2 | एन०डी०ए० आई०एम०एम० ओ०टी०ए० आई०एन०ए० आई०ए०एफ० में चयनित अभ्यर्थियों को | 50000/- प्रति अभ्यर्थी | जिन अभ्यर्थियों का चयन एन०डी०ए०, आई०एम०एम०, ओ०टी०ए०, आई०एन०ए० आई०ए०एफ० में हुआ हो एवं वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो। शासनादेश संख्या 2198 दिनांक |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | पुरस्कार योजना | | 12.12.2011 एवं शासनादेश संख्या 693 दिनांक 04.09.2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है। |
| 3 | मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना | विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी क्रमशः 50000/-, 30000/-, 15000/- एवं स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 75000/-, 60000/- एवं 50000/- | विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना। शासनदेश संख्या 655 दिनांक 15.12.2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। |
| 4 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना | शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं प्रत्येक वर्ष क्रमशः रू0 3000/-, 2000/- एवं 1500/- तथा स्नातकोत्तर स्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः रू0 5000/-, 3000/-, एवं 2000/- की प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। | शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना शासनादेश संख्या 149416 दिनांक 25.08.2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है। |
| 5 | अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगी | उत्तराखण्ड राज्य के 15 जनपदों के एक-एक महाविद्यालयों को अनुसूचित | महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/ |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | परीक्षाओं की प्रशिक्षण योजना | जाति के छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। | छात्राएँ। |
| 6 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना | शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रू0 15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल रू0 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है। | उच्च शिक्षा विभागान्तर्ग शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गयी है। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों तथा संस्थागत रूप से अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। |
| 7 | भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजना | रू0 50000/- की पुरस्कार धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र | उच्च शिक्षा विभागान्तर्ग उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहित करने एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार पांच विभिन्न विषय क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। |
| 8 | प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहयोग करना | 51000/- प्रति अभ्यर्थी | प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत 50 निर्धन छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति उत्तराखण्ड सरकार एवं ऋषि एवं मिलान खोसला फाऊण्डेशन नोएडा उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। www.vidyasaarathi.co.in |
| 9 | प्रदेश के महाविद्यालयों में | अमृता विश्वविद्यालय केरल की सहयोग द्वारा समस्त | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राएँ। |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | वर्चुअल लैब स्थापित किया जाना | राजकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब की स्थापना से ऑन लाईन के माध्यम से पाठ्य सामग्री विशेषतः प्रयोगात्मक विषयों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। | उत्तराखण्ड सरकार एवं अमृता विश्वविद्यालय केरल के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। |
| 10 | देवभूमि उद्यमिता योजना | ई0डी0आई0आई0 अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटरनशिप को सम्मिलित करने हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया। | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राएँ। उत्तराखण्ड सरकार एवं EDII अहमदाबाद के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में शासनादेश संख्या 152753 दिनांक 11.09.2023 के निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। |
| 11 | प्रदेश के महाविद्यालयों में SKILL BUILT COURES संचालित किये जाने की योजना | उत्तराखण्ड के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए "Job Readiness Bootcamp" का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ उत्तराखण्ड सरकार एवं Edunet Foundations के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। |
| 12 | प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना | महिन्द्रा प्राईड क्लास रूम, नान्दी फाउंडेशन के द्वारा प्रदेश विभिन्न महाविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundations के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। |
| 13 | प्रदेश के | प्रदेश के समस्त राजकीय | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त |

| | | |
|--|--|--|
| <p>महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु कला एवं भारतीय संस्कृत की शिक्षा को पढ़ने एवं जानने हेतु</p> | <p>महाविद्यालयों में रूट्स 2 रूट्स के अन्तर्गत सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाना।</p> | <p>छात्र-छात्राएँ उत्तराखण्ड सरकार एवं रूट्स 2 रूट्स गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।</p> |
|--|--|--|

गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा हेतु विभागीय कार्ययोजना

1. महाविद्यालयों की स्थापना-

राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरित करने के वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत कुल 118 राजकीय महाविद्यालय तथा 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 05 राज्य विश्वविद्यालय संचालित है।

2. राज्य द्वारा अद्यावधि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन किये जाने की दिशा में प्रयास -

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा इसी सत्र से पठन-पाठन हेतु स्वीकृत पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। जो राज्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट में देखे जा सकते हैं तथा समस्त महाविद्यालयों हेतु सेमेस्टर प्रणाली लागू की गयी है।
2. राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रवेश किये जा रहे है। सत्र 2023-24 में 01 सितम्बर, 2024 से अध्यापन कार्य नई शिक्षा नीति के आधार पर किया जा रहा है।

3. रोजगारपरक शिक्षा (Employment Oriented Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधानों के अनुरूप रोजगार परक और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। महाविद्यालयों में अनेक रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में वर्तमान में राज्य के कुल 69 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम का संचालन किया

जा रहा है, जिसमें मुख्यतः पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साईंस, एम0ए0 योगा, बी0एड0 पाठ्यक्रम, बी0एस0सी0 बायोटेक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी0बी0ए0, जी0आई0एस, पत्रकारिता एवं जनसंचार इत्यादि संचालित किये जा रहे हैं, इसके साथ-साथ प्रदेश व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु एक राजकीय व्यवसायिक महाविद्यालय पैठाणी की स्थापना की गयी है।

4. पारदर्शी प्रक्रिया (Transparent Process)

1. महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्पष्ट नीति पर आधारित प्रक्रिया को अपनाया जाना है जिससे कि यू0जी0सी0 मानकों के अनुरूप शिक्षक-शिष्य अनुपात का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। अतिरिक्त छात्र संख्या के लिए नये महाविद्यालयों, नए पाठ्यक्रमों, दूरस्थ शिक्षा के विकल्पों पर विचार किया जायेगा।
2. राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रवेश हेतु एकल परीक्षा का आयोजन किया जाना।
3. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत हितधारकों के सेवा एवं अन्य विवाद निपटारे हेतु महाविद्यालय एवं विभागीय स्तर पर विवाद निपटारा प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) का गठन प्रस्तावित है।

5. अवस्थापना विकास (Infrastructural Development)

भौगोलिक सुविधाओं की दृष्टि से महाविद्यालयों को सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि छात्राओं, दिव्यांगों तथा अन्य छात्रों को कठिनाई न हो। प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, क्रीडांगनों तथा जनसुविधाओं का उचित प्रकार से विकास किया जायेगा। नवनिर्माणधीन भवनों में प्रारम्भ से ही उक्त का ध्यान रखा जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार एवं रुसा द्वारा बजट आवंटित किया जा रहा है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (Development of Information Technology)

1. वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत डिजिटल एवं ऑन लाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी / विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की सुविधा के अन्तर्गत 4जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी कुल एवं वाई-फाई कुल 112 में से 83 लोकेशनों (79 महाविद्यालयों, 02 विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी एवं

- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। शेष 29 लोकेशनों (26 महाविद्यालयों एवं 03 विश्वविद्यालयों) में कार्य प्रगति पर है।
2. राज्य के प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना की गयी है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में सुलभ सुविधा उपलब्ध हो रही है।
 3. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों के समस्त सेवा अभिलेखों का शत-प्रतिशत डिजिटिजेशन कार्य किया जा चुका है।
 4. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्यरत समस्त अर्हकारी कार्मिकों द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रविष्टि की जा रही है।

7. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

1. विद्यार्थियों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें विस्तार करते हुए विभाग एक ऐसी योजना लागू करना चाहता है जिसमें समस्त विद्यार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित) को सामूहिक बीमा योजना का लाभ किया जा सकें।
2. राज्य के प्रत्येक जनपद के न्यूनतम एक राजकीय महाविद्यालय में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य किया जायेगा के आलोक में प्रत्येक जनपदों के राजकीय महाविद्यालयों में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है।
3. प्रदेश के महाविद्यालयों में मादक पदार्थों के प्रचलन को रोकने/समाप्त किये जाने हेतु नशा उन्मूलन समिति का गठन किया गया है तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को एन0एस0एस0 एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है। समय-समय पर निदेशालय स्तर से मादक पदार्थों को रोकने हेतु महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है।
4. शासकीय/अशासकीय/उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थागत रूप से अध्ययनरत उन छात्र-छात्राओं जिनकी उम्र 18 से 21 हो तथा माता/पिता/संरक्षक की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गयी है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयी प्रवेश में सभी छात्र निधियों से शुल्क मुक्ति की जा रही है।

8. गुणवत्ता सुनिश्चयन (Quality Assurance)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगामी सत्र 2022-23 से लागू किया जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप CBCS पाठ्यक्रम तैयार कर राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है।
2. समस्त अर्ह महाविद्यालयों का NAAC द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा तथा NAAC की अनुशंसाओं के आधार पर महाविद्यालयों को मजबूत बनाया जायेगा। उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन एवं गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु गठित समिति द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
3. महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार आधारित उपयोग करना। MIS, E-office, E-aankalan, समर्थ एवं गतिशक्ति पोर्टल आदि व्यवस्थागत संरचना का विकास किया गया है।

9. पर्यावरण संरक्षण:— स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के महाविद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन का मिशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है साथ ही शराब, धूम्रपान, दहेज निषेध कार्यक्रम कराकर सामाजिक जागरुकता अभियान चला जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में स्पर्श गंगा (नमामि गंगे) कार्यक्रम, एडस जागरुकता एवं ब्लड डोनेशन कैम्प का कार्य संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालयों में Fit India Movement एवं आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जा रहा है।

भावी कार्यक्रम एवं ब्यूह नीतियां :

- समस्त अर्ह महाविद्यालयों का नैक द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कराना।
- मूल्यांकित एवं प्रत्यायनित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन।
- आन्तरिक गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रकोष्ठ (IQAC)की स्थापना तथा उन्हें प्रभावशाली बनाना।
- समस्त अवशेष महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की धारा-2एफ एवं 12बीकी मान्यता प्राप्त कराने हेतु मानकों को पूर्ण कराना यथा भूमि क्रय/भवन निर्माण, पदों का सृजन एवं नियुक्तियाँ, अतिरिक्त विषयों एवं संकायों की स्वीकृति इत्यादि, जिसमें इन महाविद्यालयों को भी मूल्यांकन हेतु अर्ह बनाया जा सके।
- शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- पाठ्यक्रम सामग्री का विकास एवं डिजिटिजेशन (Content Development & Digitisation)करना, जिससे एडूसेट प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो सके।
- विभाग की वैबसाईट पर निदेशालय एवं महाविद्यालयों के कार्यालयों को सूचना तकनीक के माध्यम से जोड़ना।
- समस्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट-कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना।
- प्राध्यापकों की लोक सेवा अयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को तीव्र करने के प्रयास करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रिमेडियल पाठ्यक्रम संचालित करना।
- दूरस्थ महाविद्यालयों में आवासीय भवनों तथा छात्रावासों का निर्माण करना।
- उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, उद्योग जगत के साथ अन्तः क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करना तथा देश एवं प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ परस्पर सहयोग करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी संस्थानों से कम शुल्क पर स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।
- सुदृढ़ एवं सम्भावनायुक्त महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में विकसित करना।
- पारंपरिक एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में समन्वय के द्वारा शिक्षा की पहुँच एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना।
- महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार पर आधारित उपयोग करना।

- शासकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र से कम शुल्क पर स्ववित्तपोषित अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, यथा एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बायोटेक्नालॉजी, माइक्रोबाइलॉजी, मेडिकल प्रयोगशाला तकनीक, पत्रकारिता इत्यादि पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
- MOOCS कोर्स को बढ़ावा देते हुए ODL (Open Distance Learning) मोड में समकालीन आवश्यकता के अनुरूप कोर्स संचालित करने का प्रयत्न करना, जिसे गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा व्यापक Online mode से सुलभ कराई जा सके।
- निदेशालय स्तर से महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन व प्रबन्धन को प्रभावशाली बनाना।
- महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार आधारित उपयोग करना MIS, E-office, E-aakalan जैसी व्यवस्थागत संरचना का विकास।
- महाविद्यालयों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं निरीक्षण की प्रणाली को प्रदेश स्तर पर प्रभावशाली बनाना।
- प्रदेश के उन महाविद्यालयों, जिनके पास वर्तमान में भूमि नहीं है, के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के क्रम में गतिमान कराना।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण पोर्टल AISHE में सभी राजकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों की सूचनाएं अपलोड कराना।
- छात्रों के पठन-पाठन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रों के लिए बायोमेट्रीक उपस्थिति लागू करना।
- अधिकाधिक महाविद्यालयों में NCC, NSS और रोवर एण्ड रेंजर्स स्थापना।
- उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के संस्थागत छात्रों को स्नातक प्रथम वर्ष में वि0वि0 की मेरिट सूची में आने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान करना, जो शोध अध्ययन अवधि तक जारी रहेगी।
- उत्तराखण्ड राज्य के निवासी प्रतिभावान छात्र/छात्राएं, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य वि0वि0/महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक की उपाधि ली हैं, तथा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा ऐसे छात्र जिन्होंने CDS/OTA की प्री परीक्षा पास की हो अन्यथा NCC 'C' प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हों, को कोचिंग/तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता।

- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए पृथक शोध एवं विकास मद की स्थापना का प्रस्ताव।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पृथक नवोन्मेष मद की स्थापना।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा को विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए रोजगार एवं कौशलपरक बनाने की दिशा में कार्य करना।
- **Clean Campus Green Campus** के तहत महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की चेतना जागृत कर पर्यावरण समृद्धि की दिशा में कार्य करना।
- महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत प्राचार्यों/शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने का प्रयत्न करना।
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाये जाने की योजना।
- विश्वस्तरीय राज्य स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण देहरादून में आइसर विश्वविद्यालय/फारेन्सिकविश्वविद्यालय / राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र उत्तराखण्ड में खोला जाना प्रस्तावित।
- उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करना।
- दुर्गम महाविद्यालयों में अतिथि गृह प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षणोत्तर स्टाफ हेतु आवास का निर्माण।
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विडियों कान्फ्रैसिंग हेतु चैट रूप की व्यवस्था करना।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-02

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (धारा 04(1)ख(ii))

1. निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण।
2. निदेशक के अधिकार।
3. संयुक्त निदेशक के कार्य एवं दायित्व।
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (उच्च शिक्षा), देहरादून के कार्य एवं दायित्व।
5. राजकीय/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
6. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं वित्तीय अधिकार।

01.निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण:-

(क)राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य:-

1. राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक बजट तैयार कराना, प्राध्यापकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के प्रस्ताव संस्तुत करना।
2. उन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही संस्तुत करना।
3. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन को संस्तुति करना।
4. शिक्षकों/कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की पेंशन, भविष्य निधि तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम भुगतान के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही करना।
6. महाविद्यालयों के विकास हेतु अनावर्तक/आवर्तक धनराशि का आवंटन।

(ख)अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य:-

1. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।
2. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर नये पदोंके सृजन संबंधी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण तथा पदों का स्थायीकरण।
3. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन संबंधी विवादों का निपटारा।
4. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृती तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अन्तिम भुगतान।

5. नये महाविद्यालयों के खोले जाने का प्रस्ताव तैयार करना।
 6. महाविद्यालय के खोले जाने तथा पूर्व में चल रहें महाविद्यालयों में नये विषयों को खोले जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।
 7. महाविद्यालयों का ऑडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तदनुसार कार्यवाही कराना।
 8. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्ति किये जाने से संबन्धित कार्यवाही।
 9. महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षक वर्ग के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त कराना।
 10. संसूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची तैयार कर विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रस्तुत करना।
 11. प्रकीर्ण संस्थाओं को सहायक अनुदान प्रदान किया जाना।
 12. शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया जाना।
- (ग) प्रदेश के अशासकीय तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षित होने की दशा में शिक्षकों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों/उपपुस्तकालयाध्यक्षों तथा को-आर्डिनेटरों के वेतन निर्धारण का कार्य उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पन्न किया जाता है।
- (घ) अशासकीय/शासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहें वादों की पैरवी, छात्रों की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, छात्रवृत्ति की वसूली तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना तथा शिक्षकों/प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में शासन के उत्तर देना इत्यादि।
- (ङ) उच्च शिक्षा का बजट तैयार करना।

02.(क) निदेशक के अधिकार

1. महाविद्यालयों हेतु सामग्री खरीदने हेतु क्रयादेश करना।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करना।
3. कैरियर एडवान्समेन्ट योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत वरिष्ठ चयन प्रोफेसर वेतनमान संस्तुत करने का अधिकार।
4. निष्प्रयोज्य सामग्री का अपलेखन कर विनिष्टिकरण का कार्य संपादित करना।

5. संस्थाओं में विशेष परिस्थितियों में प्रवक्ताओं को तात्कालिक व्यवस्था हेतु सम्बद्ध किये जाने का अधिकार।

03. संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) के कार्य/दायित्य

1. उच्च शिक्षा निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/महाविद्यालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्तियां, स्थानान्तरण, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्यालय अधीक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों का अंकन व रखरखाव।
2. शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अनुदानित महाविद्यालयों की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता के प्रकरण, नये विषयों/संकायों का खोला जाना, नई योजनाओं का क्रियावन्धन तथा बजट प्रस्ताव।
3. शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकवर्ग/शिक्षणत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/भविष्य निधि अन्तिम भुगतान/सामूहिक बीमा, उपार्जित अवकाश के नगदीकरण के समस्त प्रकरण।
4. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, पद सृजन के प्रस्ताव तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अनुमोदन के प्रकरण।
5. महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा भवन निर्माण कार्य के नये प्रस्तावों पर कार्यवाही।
6. महाविद्यालयों के स्टाफ स्टेटमेंट के अनुसार सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन, रोस्टर पंजिकाओं का—रखाव, विभागीय प्रगति विवरण/दिग्दर्शिका का प्रकाशन।
7. शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की समीक्षा के प्रकरण/अनुपालन आख्याओं की समीक्षा/निस्तारण।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निस्तारण।

04. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यों एवं दायित्यों का विवरण

(क) प्रशासनिक कार्य:—

1. अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जांच एवं निरीक्षण सम्बन्धी कार्य।
2. नये विषय खोलने के लिए, पैनल में निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
3. शासन तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन।

4. शासन के आदेश पर राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिए निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।

(ख) विकास/सांख्यिकी संबंधी कार्य:-

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना अथवा विश्लेषण कर उन्हें संकलित करना।
2. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
3. महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्य संबंधी प्रवृत्तियों की सूचना एकत्र कर संकलित करना।
4. जनहित में विभागीय सूचनाओं को समय-समय पर प्रकाशित करना।
5. राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा।

(ग) वित्तीय कार्य:-

1. उ०प्र०शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों) के अपव्यय निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अभिलेखों का लेखा रखना एवं तत्संबंधी जांच करना।
2. उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या तैयार करना।
3. आपदा स्थिति जैसे: बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के संबंध में क्षति का आंकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु प्रस्ताव तैयार कराना।
4. विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र परीक्षण करना।
5. उपभोग प्रमाण-पत्र को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन करना।
6. नई पेंशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा संबन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख-रखाव को सुनिश्चित करना।
7. महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण करना।
8. पुस्तकालयध्यक्ष, उप पुस्तकालयध्यक्ष, बर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा को-आर्डिनेटर के पदों को छोड़कर शेष सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करना।

05. राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

1. महाविद्यालयों की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन, सामान्य कार्य-संचालन।
2. शिक्षण व्यवस्था, छात्र प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाओं का आयोजन।

3. शिक्षणेत्र क्रियाकलाप, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन।
4. सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, कैटलागर आदि पदों को छोड़कर वर्ग 'ग' तथा 'घ' के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संस्तुत करना।
5. शिक्षकों/शिक्षणेत्र कार्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन/अनुशासनात्मक कार्यवाही।
6. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन व वित्तीय अधिकार।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-03

विनिश्चय किये जाने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं (धारा 04(1)ख(iii))

1. निर्णय करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित।
2. महाविद्यालयों का प्रशासनिक, शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया।
3. नये महाविद्यालयों के खोले जाने में भूमि एवं भवन, पदों एवं अनुदान इत्यादि के मानकों के निर्धारण संबंधी शासनादेश।
4. नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

01. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकारी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं जबकि इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर की ओर प्रभावित होते हैं और इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया पद सोपान क्रम में समान भागों में निहित होती है, जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता है:-

- प्रत्येक प्रकरण, जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है, सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रों को धारित करने वाले अनुभाग के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है, जिनके द्वारा उस पर अनुपालन में की गई प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमों के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है।

- पदधारणकर्ता प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी अंकित कर उसे उच्च प्राधिकारी को भेजते हैं।
- उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रकृति के अनुसार उचित होने पर, अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम संभव निर्णय पर पहुँचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार-विमर्श करते हैं।
- विधिक एवं विशेषज्ञराय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिये जाते हैं तथा उच्च प्राधिकारियों के पास, निर्देशों एवं स्वीकृतियों हेतु प्रेषितप्रत्येक प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।
- उचित निर्णयों पर पहुँचने हेतु विभागीय स्तर पर नियुक्त समितियों से, उनको सौंपे गये विशिष्ट कार्य पर उनकी संस्तुतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियों हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते हैं। उचित नियोजन, नीति आयोग निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनारों, सम्मेलनों, सभाओं एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

02. महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण व निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया

उत्तराखण्ड में अवस्थित सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों पर उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित है परन्तु शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय पर यथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय का निर्देशन एवंनियंत्रण रहता है। विश्वविद्यालयों के द्वारा ही अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों का कलैण्डर तैयार किया जाता है जिसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समितियों में महाविद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।

1. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारणप्रतिवर्षसम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। यह नियम विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा निर्गमित सूचना विवरणिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश इन्हीं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।
2. कतिपय पेशेवर एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों यथा बी0एड0, एम0बी0ए0,एल0एल0बी0, एल0एल0एम0,व्यावसायिक पाठयक्रमों इत्यादि में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर

- किये जाते हैं जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर योग्यता के क्रम में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।
3. परीक्षा तिथियों एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है तथा परीक्षायें महाविद्यालयों में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशन में आयोजित करायी जाती हैं, वरिष्ठ एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों, प्रायोगिक परीक्षा परीक्षकों, प्रधान एवं सहायक परीक्षकों की नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती हैं तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते हैं।
 4. विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही विभिन्न महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं राष्ट्रीय सेवायोजना के सामान्य कार्यक्रमों एवं विशेष शिविरों का आयोजन भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार किया जाता है।
 5. शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के द्वारा विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में तैनाती सामान्यतः वार्षिक प्रबन्ध के समय की जाती है।
 6. नये महाविद्यालयों के खोले जाने की प्रक्रिया एवं भूमि भवन तथा पदों एवं अनुदान के मानक विभिन्न शासनादेशों के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापदण्ड (धारा 04(1)ख(iv))

लोक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापदण्ड का विवरण मैनुअल-03 में उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त निम्नांकित नियमावलियों से भी विषयों का सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

1. उत्तर प्रदेश मूल नियम वित्तीय हस्त पुस्तिका (समस्त खण्ड)
2. मूल सेवा नियमावली
3. सरकारी कर्मचारियों आचरण नियमावली

कार्यालय में उपस्थिति एवं स्थितता का समय(उच्च शिक्षा निदेशालय एवं महाविद्यालयों में संचालित व्यवस्था) :-

प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक (कार्य दिवस) निदेशालय/महाविद्यालय में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमित रूप में अधिकारियों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों की उपस्थिति रहती है किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक के लिए सप्ताह में न्यूनतम 40 घण्टे की उपस्थिति यू0जी0सी0

मानकों के अनुसार अनिवार्य है। निदेशालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-05

अपने नियंत्रणाधीन धारित अथवा अपने कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक एवं अभिलेख(धारा 04(1)ख(v))

लोक प्राधिकारी एवं उसके अधीन कार्यरत कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ मुख्यतः निम्नांकित स्रोतों का अवलोकन किया जाता है:-
नियमों, विनियमों, अनुदेशों आदि के स्रोत:

- उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम, विनियम, दिशा-निर्देश इत्यादि।
- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली (संशोधन सहित)- 2003
- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'ख', 'ग' व 'घ') सेवा नियमावली (संशोधन सहित)।
- न्यायपालिका के निर्णय, आदेश एवं निर्देश।
- विभिन्न शासनादेश, अध्यादेश एवं अधिसूचनाएँ।
- शासन द्वारा निर्गत विभिन्न विज्ञापितियां एवं कार्यालय आदेश।
- विश्वविद्यालय स्तरीय विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों द्वारा पारित विभिन्न प्रस्ताव, नियम एवं अनुदेश।

निर्देशिकायें-

- प्रगति, प्रतिवेदन (वार्षिक)।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास योजनायें।
- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका/आय-व्ययक (वार्षिक)।

अभिलेख:

- श्रेणीवार कार्मिकों की उपस्थिति पंजिकायें।
- पत्र प्रेषण एवं प्रगति पंजिकायें।

- वर्गीकृत पत्रावलियों एवं गार्ड फाईलें।
- रोकड़ बही, स्टॉक पंजिकायें, खाता बही, शुल्क पंजिकायें, वेतन-भत्तों की पंजिकायें, कोषागार विषयक अभिलेख, सेवा पंजिकायें, बैंक व्यवहार सम्बन्धी पंजिकायें एवं प्रतिपण।
- आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेख।
- चल-अचल सम्बन्धी पंजिका/अभिलेख।
- कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा अभिरक्षित एवं सतत अपडेट की गई कम्प्यूटर स्टोर सूचनायें एवं फाईलें।
- बैठकों एवं सभाओं के कार्य विवरण एवं पारित प्रस्ताव।
- राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों का रख-रखाव।
- ऑडिट अनुपालन, आख्या/निराकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित लेजर/पंजिका एवं पासबुक।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-06

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण(धारा
04(1)ख(vi)

उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रवर्गों के अनुसार आवंटित कार्यों तथा तत्संबंधी दस्तावेजों का वर्गीकरण निम्नवत है।

डिग्री सेवा अनुभाग:

- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति।
- पदोन्नति व स्थानान्तरण।
- वेतन निर्धारण चयन/वरिष्ठ/प्रोफेसर वेतनमान स्वीकृत, वेतन वृद्धि।
- अवकाश स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विदेश यात्रा भ्रमण।
- अधिष्ठान से संबधित समस्त कार्य।

डिग्री प्लान अनुभाग:

- नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं अतिरिक्त विषयों की स्वीकृति।
- विषयों को खोलने हेतु क्लीयरेन्स।
- स्थायी/अस्थायी संबद्धता व पैनल निरीक्षण।
- वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, विधान सभा/राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न।
- नये पदों का सृजन/आयोजनगत पदों का सततीकरण।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

डिग्री विकास अनुभाग:

- भूमि अधिग्रहण।
- भवन-निर्माण-आवासीय, अनावासीय व लघु निर्माण।
- यू0जी0सी0 अनुदान।

डिग्री बजट अनुभाग (I):

- समस्त शासकीय महाविद्यालयों के आयोजनागत/आयोजनेत्तर बजट प्रस्ताव, बजट निर्माण एवं बजट आंबटन।
- बजट अभिभाषण।
- कालातीत बिलों के सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्य।

डिग्री पेंशन अनुभाग (II):

- पेंशन/सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरण।
- जी०पी०एफ० स्वीकृति।

डिग्री अर्थ अनुभाग (I):

- अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जांच व निरीक्षण।
- अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण व आपत्तियों का निराकरण आदि।

डिग्री विधि अनुभाग:

- उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयी वाद संबंधी कार्य।

डिग्री आडिट/लेखा अनुभाग:

- विभागीय आडिट इकाई के द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा-परीक्षण।

महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालयों में धारित सूचनाएँ

महाविद्यालय स्तर पर कार्यालय, प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय अधीक्षक के नियंत्रणाधीन होते हैं, जबकि लेखाकार के पास वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी/पुस्तकालय कार्मिक के अधीन रहते हैं। विभिन्न विभागों में रखी गई पत्रावलियां एवं स्टॉक पंजिकाएं, विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिति, परीक्षा पंजिकायें तत्संबंधी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक या स्टोर सहायक के नियंत्रण में रखी जाती है। कुछ विशिष्ट पत्रावलिया एवं पंजिकायें तथा तत्संबंधी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियंत्रणाधीन होती है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-07

किसी व्यवस्था के विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभयावेदन के लिए विद्यमान है (धारा 04(1)ख(vii))

नीति बनाने या उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना-

शिक्षक अभिभावक संघ (PTA)

संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के समस्त भौतिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु राज्य के समस्त महाविद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक परिषद (पी0टी0ए0) का गठन किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। पी0टी0ए0 के प्रमुख कार्य निम्नवत् है:-

- शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
- संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-सहभागिता को प्रोत्साहित कर परामर्श करना व सुझावों को समुचित महत्व देना।
- संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में निजी सहयोग प्राप्त करना।
- अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

भूतपूर्व छात्र परिषद (Alumni Association)

महाविद्यालयों के उन भूतपूर्व छात्रों, जिन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, के साथ संवाद स्थापित कर उनकी उपलब्धियों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उनकी विशेषताओं से संस्था को लाभान्वित करने हेतु भूतपूर्व छात्र परिषदों का गठन भी अनेक महाविद्यालयों में किया गया है, जिसके कार्य निम्नवत् है:-

- गणमान्य पूर्व छात्रों से संवाद स्थापित कर उन्हें विविध क्रियाकलापों एवं आयोजनों में आमंत्रित करना।
- संस्था के गुणवत्तापूर्ण विकास में उनकी सहभागिता प्राप्त करना तथा सुझावों को महत्व देना।
- संस्था के विकास हेतु बहुआयामी समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करना।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-08

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी (धारा 04(1)ख(viii))

आदर्श महाविद्यालयों में गठित होने वाली समितियाँ –

गवर्निंग बॉडी:

1. अधिकतम तीन सदस्यों का नामांकन राज्य शासन द्वारा अवकाश प्राप्त कुलपतियों, प्राचार्यों एवं शिक्षाविदों में से किया जायेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा।
2. महाविद्यालय के दो वरिष्ठतम सदस्यों, जो दो-दो वर्ष के प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामांकित किये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय का नामित सदस्य।
4. प्राचार्य/सदस्य सचिव।

कार्य:

1. महाविद्यालय की वित्त समिति की संस्तुति पर छात्र शुल्क व अन्य देयकों का निर्धारण।
2. छात्रवृत्ति, फेलोशिप, मैडल, पुरस्कार, सर्टिफिकेट का एकेडमिक काउन्सिल की संस्तुति पर निरूपण।
3. डिग्री एवं डिप्लोमा प्रोग्राम का चयन एवं स्थानीय स्थितियों के अनुरूप परिमार्जन।
4. इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिये अन्य कार्य।

एकेडेमिक काउन्सिल:

1. प्राचार्य— अध्यक्ष ।
2. सभी विभागों के अध्यक्ष/वरिष्ठतम शिक्षक ।
3. रोटेशन के वरिष्ठता के आधार पर चार शिक्षक, जिनका चयन प्राचार्य द्वारा किया जायेगा, जिनमें से एक सदस्य प्राचार्य द्वारा सचिव के रूप में नामित किया जायेगा ।
4. उद्योग व्यवस्था विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जीनियरिंग आदि क्षेत्रों के चार विशेषज्ञ जिनका नामांकन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया जायेगा ।
5. विश्वविद्यालय के तीन नामित सदस्य, नामित व्यक्तियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा । प्राचार्य द्वारा कमेटी की सभा वर्ष में न्यूनतम एक बार आहूत की जायेगी ।

कार्य:

1. पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन एकेडेमिक नियमावली, मूल्यांकन की विधि एवं प्रणाली आदि का अनुमोदन ।
2. छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी नियमावली का निर्धारण ।
3. क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, शिक्षणोत्तर क्रिया-कलापों एवं क्रीड़ांगन तथा छात्रावास का संचालन ।
4. विभिन्न बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम/नवीन पाठ्यक्रम आदि की गवर्निंग बॉडी को संस्तुति करना ।
5. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पुरस्कार एवं मैडल की गवर्निंग बॉडी संस्तुति ।

बोर्ड आफ स्टडीज:

1. विभागाध्यक्ष— अध्यक्ष ।
2. सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ—पांच अध्यापक ।
3. एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्य नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । विभिन्न कार्यों के लिए बोर्ड आफ स्टडीज की मीटिंग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में न्यूनतम एक बार प्राचार्य द्वारा आहूत की जायेगी ।

कार्य:

1. पाठ्यक्रम में निरन्तर संशोधन/सुधार ।
2. नवीनतम अध्यापन एवं मूल्यांकन तकनीक का सुझाव देना ।

3. परीक्षकों की सूची एकेडमिक काउन्सिल को देना और शोध शिक्षण-प्रसार तथा अन्य शिक्षणोत्तर गतिविधियों में समन्वय।

वित्त समिति :

1. प्राचार्य –अध्यक्ष।
2. गवर्निंग बॉडी द्वारा नामित सदस्य (कार्यकाल दो वर्ष) हेतु प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामित वरिष्ठतम शिक्षक वित्त समिति गवर्निंग बॉडी के सलाहकार के रूप में वित्त समिति कार्य करेगी और वर्ष में दो बार इसकी मीटिंग प्राचार्य द्वारा आहूत की जायेगी। इसके द्वारा बजट अनुभाग, यू0जी0सी0 को प्रेषित/प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, अशासकीय श्रोतों से वित्तीय सहायता और शुल्क के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु गठित समितियों का विवरण-

- प्रवेश समिति।
- अनुशासन समिति।
- क्रीड़ा समिति।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति।
- छात्र कल्याण समिति।
- छात्र संघ समिति।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम समिति।
- महाविद्यालय विकास समिति।
- परीक्षा समिति।
- टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाणपत्र।
- निर्गत समिति
- एन0सी0सी0 समिति।
- समारोह समिति।
- कैरियर काउन्सिलिंग समिति।
- एन0एस0एस0 समिति।

क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ?

नियमानुसार बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञ तत्संबंधी बोर्ड अथवा समिति या परिषद में सूचना देकर आमंत्रित किए जाते हैं और उन तक कार्यवृत्त की पहुंच होती ही है किन्तु कतिपय अपवादों को छोड़कर शेष सभी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुंच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-09
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका(धारा 04(1)ख(ix))

| उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची (31.03.2025) | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| क्र०सं० | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | वेतनमान (लेबल) |
| 1 | डॉ० अन्जु अग्रवाल | निदेशक | लेबल-14 |
| 2 | डॉ० ए० एस० उनियाल | संयुक्त निदेशक | लेबल-14 |
| 3 | डा० आर० एस० भाकुनी | उप निदेशक | लेबल-14 |
| 4 | डा० एच० एस० नयाल | उप निदेशक | लेबल-14 |
| 5 | डॉ० ममता ड्यूडी नैथाणी | उप निदेशक | लेबल-14 |
| 6 | श्री बची राम आर्या | वित्त नियंत्रक | लेबल-12 |
| 7 | डॉ० दीपक पाण्डे | सहायक निदेशक | लेबल-14 |
| 8 | डॉ० गोविन्द पाठक | सहायक निदेशक | लेबल-14 |
| 9 | डॉ० मनीषा तिवारी | सहायक निदेशक | लेबल-14 |
| 10 | डॉ० प्रमोद कुमार | सहायक निदेशक | लेबल-14 |
| 11 | रिक्त | लेखाधिकारी | |
| 12 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | लेबल-10 |
| 13 | श्री घनी लाल | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | लेबल-08 |
| 14 | श्री दीपक बेरिया | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | लेबल-08 |
| 15 | रिक्त | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | |
| 16 | श्री प्रमोद कुमार चुनेरा | प्रशासनिक अधिकारी | लेबल-07 |
| 17 | रिक्त | प्रशासनिक अधिकारी | |
| 18 | रिक्त | प्रशासनिक अधिकारी | |

| | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|----------|
| 19 | श्री विरेन्द्र कुमार | लेखाकार | लेबल-07 |
| 20 | श्रीमती अंजली वर्मा | वैयक्तिक अधिकारी | लेबल-08 |
| 21 | श्री अजय कुमार शर्मा | वैयक्तिक अधिकारी | लेबल-08 |
| 22 | श्रीमती प्रेमा भण्डारी | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | लेबल-06 |
| 23 | श्री नवीन सिंह मर्तोल्या | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | लेबल-06 |
| 24 | श्री नरेश पाल | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | लेबल-06 |
| 25 | रिक्त | अन्वेषक कम संगणक | |
| 26 | रिक्त | अन्वेषक कम संगणक | |
| 27 | श्री कैलाश चन्द्र जोशी | प्रधान सहायक | लेबल-06 |
| 28 | श्री लालू राम | प्रधान सहायक | लेबल-06 |
| 29 | श्री जीवन गड़िया | प्रधान सहायक | लेबल-06 |
| 30 | श्री मुकेश बिष्ट | प्रधान सहायक | लेबल-06 |
| 31 | श्री हरेन्द्र सिंह | प्रधान सहायक | लेबल-06 |
| 32 | श्री हिमांशु जोशी | सहायक लेखाकार | लेबल-05 |
| 33 | रिक्त | लेखा परीक्षक | |
| 34 | रिक्त | लेखा परीक्षक | |
| 35 | श्री कैलाश जोशी | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 36 | श्री अनिल सिंह | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 37 | श्री पंकज जोशी | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 38 | श्री हिमांशु शर्मा | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 39 | श्री विमल सिंह | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 40 | श्री भूपेन्द्र सिंह रावत | वरिष्ठ सहायक | लेबल-05 |
| 41 | रिक्त | वरिष्ठ सहायक | |
| 42 | श्री रेनु गहतोड़ी | कनिष्ठ सहायक | लेबल-03 |
| 43 | श्री विवेक पाण्डे | कनिष्ठ सहायक | लेबल-03 |
| 44 | श्री योगेश गिरि | कनिष्ठ सहायक | लेबल-03 |
| 45 | श्री सुभाष सिंह | कनिष्ठ सहायक | लेबल-03 |
| 46 | श्री महावीर सिंह रावत | कनिष्ठ सहायक | आउटसोर्स |
| 47 | श्री जीवन सिंह बिष्ट | कनिष्ठ सहायक | आउटसोर्स |
| 48 | श्री मोहित तिवारी | कनिष्ठ सहायक | आउटसोर्स |
| 49 | रिक्त | कनिष्ठ सहायक | |
| 50 | सोनाली | स्टेनोग्राफर / टाईपिस्ट | आउटसोर्स |
| 51 | श्री दिनेश चन्द्र पाठक | वाहन चालक | आउटसोर्स |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|----------|
| 52 | श्री प्रमोद रावत | वाहन चालक | आउटसोर्स |
| 53 | श्री गुंजन सिंह बाफिला | वाहन चालक | आउटसोर्स |
| 54 | श्री मोहित नाहर | वाहन चालक | आउटसोर्स |
| 55 | श्री अमरजीत | परिचारक | लेबल-02 |
| 56 | श्री प्रमोद कुमार | परिचारक | आउटसोर्स |
| 57 | श्री सुनील के0 सिंह | परिचारक | आउटसोर्स |
| 58 | श्री डूंगर सिंह | परिचारक | आउटसोर्स |
| 59 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | परिचारक | आउटसोर्स |
| 60 | श्री अजय कुमार | परिचारक | आउटसोर्स |
| 61 | श्री सुरेन्द्र सिंह कुलौरा | परिचारक | आउटसोर्स |
| 62 | श्री संजय बिष्ट | परिचारक | आउटसोर्स |
| 63 | श्री हरेन्द्र सिंह | परिचारक | आउटसोर्स |
| 64 | रिक्त | परिचारक | |
| 65 | रिक्त | परिचारक | |
| 66 | रिक्त | परिचारक | |

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है (धारा 04(1)ख(x))

1. उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') नियमावली 2003 के भाग-7 प्रस्तर 21 वेतनमान में समूह क 'के' विभिन्न पदों हेतु श्रेणीवार प्रवृत्त वेतनमान निम्नवत निर्धारित है:-

| श्रेणी | पद का नाम | वेतनमान (लेबल) |
|----------|---|----------------|
| 1. | निदेशक, उच्च शिक्षा | लेबल-14 |
| 2. | संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्य स्नातकोत्तर एवं प्रोफेसर | लेबल-14 |
| 3. | उप निदेशक एवं प्राचार्य स्नातक | लेबल-13अ/14 |
| 4. | सहायक निदेशक एवं एसोसिएट प्रोफेसर | लेबल-13अ/14 |
| | प्रवक्ता चयन वेतनमान | लेबल-12 |
| | प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान | लेबल-11 |
| प्रवक्ता | | लेबल-10 |

2. वेतनमान के अनुसार विभिन्न समूहों के कार्मिकों को अनुमन्य वेतन निदेशालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका में भी दिया गया है (कृपया मैनुअल संख्या-09 का सन्दर्भ लें)।

3. वेतन निर्धारित की पद्धति:-

नियमानुसार निर्धारित मूल वेतन में निम्नांकित को जोड़कर सकल परिलब्धियों का निर्धारण किया जाता है:-

- (i) महंगाई भत्ता।
- (ii) मकान किराया भत्ता (वेतन स्लैब के अनुसार)।
- (iii) पर्वतीय भत्ता/सीमांत क्षेत्र विशेष भत्ता।
- (iv) विशेष वेतन।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या-11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (धारा 04(1)ख(xi)

वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट प्राविधान/स्वीकृति/अद्यतन तक व्यय का विवरण
(लाख में)

| क्र० सं० | योजना का नाम | वार्षिक प्राविधान | वित्तीय स्वीकृति | अद्यतन तक व्यय |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | अनुदान सं०-11 | | | |
| 1 | राजस्व पक्ष (राज्य पोषित) | 66697.92 | 65398.64 | 61360.47 |
| 2 | राजस्व पक्ष (केन्द्र पोषित) | 1100.01 | 0.00 | 0.00 |
| | राजस्व पक्ष का योग:- | 67797.93 | 65398.64 | 61360.47 |
| 3 | पूँजीगत पक्ष (राज्य पोषित) | 5100.03 | 5097.49 | 5097.49 |
| 4 | पूँजीगत पक्ष (केन्द्र पोषित) | 4390.02 | 3839.27 | 3710.60 |
| | पूँजीगत पक्ष का योग:- | 9490.05 | 8936.76 | 8808.09 |
| | कुल योग:- | 77287.98 | 74335.40 | 70168.56 |
| | अनुदान सं०-30 | | | |
| 1 | राजस्व पक्ष (राज्य पोषित) | 27.00 | 27.00 | 25.45 |
| 2 | राजस्व पक्ष (केन्द्र पोषित) | 1463.01 | 665.47 | 664.49 |
| | राजस्व पक्ष का कुल योग:- | 1490.01 | 692.47 | 689.94 |
| | अनुदान सं०-31 | | | |
| 1 | राजस्व पक्ष (राज्य पोषित) | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
| 2 | राजस्व पक्ष (केन्द्र पोषित) | 280.02 | 280.00 | 260.00 |
| | राजस्व पक्ष का योग:- | 288.02 | 288.00 | 267.20 |
| 3 | पूँजीगत पक्ष (राज्य पोषित) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | पूँजीगत पक्ष का योग:- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | कुल योग:- | 388.02 | 388.00 | 367.20 |
| | महायोग (11,30,31) (राजस्व+पूँजीगत) :- | 79166.01 | 75415.87 | 71225.70 |

(लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट प्राविधान/स्वीकृति/अद्यतन तक व्यय का विवरण

| क्र० सं० | योजना का नाम | वार्षिक प्राविधान | अद्यतन तक वित्तीय स्वीकृति | अद्यतन तक व्यय |
|----------|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | अनुदान सं०-11 (राजस्व पक्ष) | | | |
| 1 | 2202-03-001-03-उच्च शिक्षा निदेशालय | 1050.04 | 1050.02 | 967.95 |
| 2 | 2202-03-103-03-उपाधि प्राप्त महाविद्यालय | 45385.91 | 45385.90 | 41836.24 |
| 3 | 2202-03-103-12-एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र / छात्राओं को पुरस्कार | 125.00 | 89.00 | 88.00 |
| 4 | 2202-03-103-14-महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की स्तर तक सुदृढीकरण। | 317.94 | 205.21 | 131.95 |
| 5 | 2202-03-103-16-राजकीय महावि०/ वि०वि० में एडुसैट के माध्यम से शिक्षा | 28.00 | 20.50 | 12.62 |
| 6 | 2202-03-103-17-राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2202-03-103-20-राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना | 50.00 | 27.25 | 27.25 |
| 8 | 2202-03-103-21-भक्त दर्शन पुरस्कार योजना | 5.00 | 4.53 | 4.53 |
| 9 | 2202-03-103-22-संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता योजना | 170.50 | 170.50 | 167.00 |
| 10 | 2202-03-103-23-शोध एवं विकास कार्य हेतु योजना | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 2202-03-103-26-खटीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना योजना | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 2202-03-103-27-नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन योजना | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

(लाख में)

| क्र० सं० | योजना का नाम | वार्षिक प्राविधान | वित्तीय स्वीकृति | अद्यतन तक व्यय |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2202-03-103-28-मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना | 10.00 | 4.75 | 4.75 |
| 14 | 2202-03-103-29-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना) | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 2202-03-103-30-विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना | 20.00 | 20.00 | 19.33 |
| 16 | 2202-03-104-03-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता | 15537.83 | 15537.82 | 15273.62 |
| 17 | 2202-03-105-02-प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2202-03-105-03-वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को सुविधा | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19 | 2202-03-105-04-प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2202-03-107-07-शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ | 1877.56 | 1877.56 | 1821.63 |
| 21 | 2202-03-107-08-मुख्यमंत्री शेवेनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ। | 148.18 | 50.00 | 50.00 |
| 22 | 2202-03-800-17-एनईपी के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना। | 225.00 | 200.00 | 200.00 |
| 23 | 2202-03-800-18-उद्यमिता कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा | 711.95 | 633.60 | 633.60 |
| 24 | 2202-05-102-03-भारतीय भाषा केन्द्र देहरादून। | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| | अनुदान सं० 11 राजस्व पक्ष का योग | 66697.92 | 65398.64 | 61360.47 |

(लाख में)

| क्र० सं० | योजना का नाम | वार्षिक प्राविधान | वित्तीय स्वीकृति | अद्यतन तक व्यय |
|----------|---|-------------------|------------------|----------------|
| | पूँजीगत पक्ष | | | |
| | अनुदान सं०-11 | | | |
| 1 | 4202-01-203-03-कतिपय राज०महावि० के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना | 5000.00 | 4999.99 | 4999.99 |
| 2 | 4202-01-203-04-राज० महावि० के भूमि/भवन क्रय | 100.00 | 97.50 | 97.50 |
| 3 | 4202-01-203-05-उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4202-01-203-13-सोसायटी मोड में स्ववित्त पोषित बी०एड० कक्षाओं का संचालन | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4202-01-203-27-नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत महाविद्यालयों में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | अनुदान सं० 11 पूँजीगत पक्ष का योग | 5100.03 | 5097.49 | 5097.49 |

| | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| अनुदान सं०-30 | | | | |
| | राजस्व पक्ष | | | |
| 1 | 2202-03-103-03-प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण | 27.00 | 27.00 | 25.45 |
| | अनुदान सं०-30 का कुल योग:- | 27.00 | 27.00 | 25.45 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| अनुदान संख्या-31 | | | | |
| | राजस्व पक्ष | | | |
| 1 | 2202-03-001-02-महाविद्यालयों का सुदृढीकरण | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
| | अनुदान सं०-31 राजस्व पक्ष का योग | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
| | पूँजीगत पक्ष | | | |
| | अनुदान सं०-31 | | | |
| 2 | 4202-01-203-03-राजकीय महावि० के छात्रावास एवं भवनों का निर्माण | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | अनुदान सं०-31 पूँजीगत पक्ष का योग | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | अनुदान सं०-31 का कुल योग:- | 108.00 | 108.00 | 107.20 |
| | अनुदान सं०-11, 30, 31 का कुल योग:- | 71932.95 | 70631.13 | 66590.61 |

वित्तीय वर्ष 2025-26 (केन्द्र सैक्टर)

(लाख में)

| क्र० सं० | योजना का नाम | वार्षिक प्राविधान | वित्तीय स्वीकृति | अद्यतन तक व्यय |
|----------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | राजस्व पक्ष (केन्द्र सैक्टर) | | | |
| | अनुदान सं०-11 | | | |
| 1 | 2202-03-103-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) केन्द्रांश | 1000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2202-03-103-9501-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) राज्यांश | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग:- | 1100.01 | 0.00 | 0.00 |
| | अनुदान सं०-30 | | | |
| 1 | 2202-03-001-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। (रूसा) केन्द्रांश | 1330.01 | 665.47 | 664.49 |
| 2 | 2202-03-001-9501-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। (रूसा) राज्यांश | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| | योग:- | 1463.01 | 665.47 | 664.49 |
| | अनुदान सं०-31 | | | |
| 1 | 2202-03-103-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। (रूसा) केन्द्रांश | 280.01 | 280.00 | 260.00 |
| 2 | 2202-03-103-9501-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। (रूसा) राज्यांश | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | योग:- | 280.02 | 280.00 | 260.00 |
| | (केन्द्र सैक्टर) पूँजीगत पक्ष | | | |
| | अनुदान सं०-11 | | | |
| 1 | 4202-01-203-0101-रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शा० तथा अशा० महाविद्यालयों में भवन निर्माण हेतु अनुदान (रूसा) केन्द्रांश | 4290.01 | 3780.71 | 3680.71 |
| 2 | 4202-01-203-0102-राज्य परियोजना निदेशालय के प्रशासनिक व्यय(100%) | 100.00 | 58.56 | 29.89 |
| 3 | 4202-01-203-9501-रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शा० तथा अशा० महाविद्यालयों में भवन निर्माण हेतु अनुदान (रूसा) राज्यांश | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | योग:- | 4390.02 | 3839.27 | 3710.60 |
| | अनुदान सं०-11, 30, 31 का कुल योग:- | 7233.06 | 4784.74 | 4635.09 |

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं (धारा 04(1)ख(xii))

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 787/एक्स0वी0आई0आई0-4/2017-01(82)/2014, दिनांक 01.01.2018 तथा पत्र संख्या 45/नि0अ0क0/अ0छात्र/विज्ञप्ति (28/2018-19), दिनांक 26.07.2018 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2018-19 से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पोर्टल <http://scholarships.gov.in> पर ऑनलाईन छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण के प्रक्रिया प्रभावी है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-13

रियायत (धारा 04(1)ख(xiii))

उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन महाविद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को अर्द्ध व पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति व्यवस्था की जाती रहती है :-

उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित विभिन्न विकासपरक, जनकल्याणकारी योजनाएँ

| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना का लाभ | वर्ष 2024-25 | | |
|----------|--|---|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | स्वीकृत बजट | व्यय | लाभार्थियों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु विशेष आर्थिकसहायता योजना। | राज्य लोक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण को रू० 50,000/- तथा संघ लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण को रू० 100000/- | 150.00 लाख | 73.50 लाख | 74 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|--|---------------|---------------|------|
| 2 | एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना। | 50,000/- प्रति अभ्यर्थी | 75.00 लाख | 64.50 लाख | 129 | | | |
| 3 | मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। | NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों/संस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 100 छात्रों हेतु योजना | वर्ष 2024-25 से लागू कुल बजट 50 (NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालय/संस्थान) | | | | | |
| 4 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना | स्नातक प्रथम 3000/- द्वितीय 2000/- तृतीय 1500/- स्नातकोत्तर प्रथम 5000/- द्वितीय 3000/- तृतीय 2000/- | 842.70 लाख | 773.76 लाख | 2610 लाख | 10 करोड़ | 8.70 करोड़ | 2200 |
| 5 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना | शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रू0 15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है। | 200 लाख | 200 लाख | 44 प्राध्यापक | | | |
| 6 | राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना। | रू0 5000/- | | | | | 25.60 लाख | 64 |
| 7 | अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण योजना | राज्य के प्रत्येक जनपद के महाविद्यालय को अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। | 28.50 लाख | 28.50 लाख | - | 30.90 लाख | 30.90 लाख | - |
| 8 | देवभूमि उद्यमिता योजना | ई0डी0आ0ई0आ0ई0 अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित | 711.95 लाख | 711.95 लाख | 12500 छात्रों द्वारा पंजीकरण 92 फैंकल्टी | 711.95 लाख | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------------|---|------------|--|--|
| | | पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटरनशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना। | | | मेंटर प्रशिक्षित किये गये 10 महाविद्यालयों में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया गया | | | |
| 8 | नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन योजना। | राज्य के विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों को नैक में उच्च रैंकिंग हेतु प्रोत्साहित करना। | 01 करोड़ 02 लाख | 01 करोड़ 02 लाख | 19 राजकीय महाविद्यालयों को नैक की ग्रेडिंग के अनुसार | 244.54 लाख | | |
| 9 | मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना। | राज्य में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संचालित। | वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान कुल बजट - 10 लाख | | | | | |
| 11 | उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजना। | प्राध्यापकों को प्रतिष्ठित संस्थानों में शैक्षिक भ्रमण हेतु योजना। | वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान कुल बजट - 10 लाख | | | | | |
| 12 | विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना। | महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण योजना। | वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान कुल बजट - 20 लाख | | | | | |
| 13 | मुख्यमंत्री शेविनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ। | राज्य के मेधावी छात्रों को यू0के0 के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन हेतु योजना। | वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान कुल बजट - 200 लाख | | | | | |

| उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के महाविद्यालय अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु संचालित अन्य स्वरोजगारपरक योजनाएँ | | | | |
|---|--|---|---|---|
| क्र० सं० | योजना का नाम | योजना का लाभ | समझौता ज्ञापन | अभ्यर्थियों की संख्या |
| 1 | डिजिटल इनिशिएटिव एवं सुधारात्मक प्रयास | समर्थ ई- गर्वनेंस के माध्यम से ई0आर0पी0, प्रवेश, परीक्षा, अवकाश आदि की सेवाएँ समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जाना। | उत्तराखण्ड सरकार एवं समर्थ नई दिल्ली से समझौता ज्ञापन (MOU)के क्रम में संचालित। | विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ। कुल ऑन बोर्ड छात्रों की संख्या- 83764 कुल ऑन बोर्ड प्राध्यापकों की संख्या- 2835। |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 2 | एन0एस0ई0 द्वारा संचालित प्रोजेक्ट गौरव | बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र संवेदीकरण, निशुल्क त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। | उत्तराखण्ड सरकार एवं स्टॉक एक्सचेंज मुम्बई से समझौता ज्ञापन (MOU)के क्रम में संचालित। | विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ। कुल प्रशिक्षण का लाभ-5000 छात्र/छात्राएँ। |
| 3 | प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहयोग करना। | 51,000 /- प्रति अभ्यर्थी | उत्तराखण्ड सरकार एवं ऋषि मिलान खोसला फाउण्डेशन नोएडा उ0प्र0 से समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। 1- आवेदन प्रक्रिया- शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं को ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करना होगा जिस लिंक है- WWW.vidyasaarathi.co.in 2- चयन प्रक्रिया - आनलाईन प्राप्त आवेदनों जो निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हैं उनमें से वरियता के आधार पर 50 छात्राओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु छात्रवृत्ति दी जा रही है। | 1- प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना। 2- परिवार की समस्त स्रोतों से कुल आय रु0 6 लाख से अधिक न हो। |
| 4 | प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब स्थापित किया जाना। | अमृता विश्वविद्यालय केरल के सहयोग द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब की स्थापना से ऑन लाईन के माध्यम से पाठ्य सामग्री विशेषतः प्रयोगात्मक विषयों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। | उत्तराखण्ड सरकार एवं Amrita University Kerlaफाउण्डेशन नोएडा उ0प्र0 से समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। प्रथम चरण में राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विषयों हेतु अमृता विश्वा विद्यापीठम | विज्ञान वर्ग के समस्त छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | <p>में उपलब्ध वर्चुअल लैब संचालित की जा रही है।</p> <p>1- कार्बनिक / अकार्बनिक रसायन विज्ञान</p> <p>2-भौतिक विज्ञान</p> <p>3-बायोटेक्नोलॉजी लैब</p> <p>4- लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब</p> <p>5-कम्प्यूटर विज्ञान इत्यादि।</p> | |
| 5 | <p>प्रदेश के महाविद्यालयों में SKILL BUILT COURSE संचालित किये जाने की योजना।</p> | <p>उत्तराखण्ड के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए “Job Readiness Bootcamp“ का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।</p> | <p>उत्तराखण्ड सरकार एवं Edunet Foundationसे समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। कौशल विकास एवं सॉफ्ट स्किल से सम्बन्धित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कराया जाना।</p> | <p>महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ।</p> |
| 6 | <p>प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना।</p> | <p>महिन्द्रा प्राईड क्लास रूम, नन्दी फाऊंडेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना।</p> | <p>उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundationसे समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।</p> | <p>राजकीय महाविद्यालय सतपुली, काण्डा, नैनबाग, गरूड, लोहाघाट, रानीखेत, महिला हल्द्वानी एवं रायपुर में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित किया गया।</p> |
| 7 | <p>प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु कला एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा को पढने एवं जानने हेतु।</p> | <p>प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में रुट्स 2 रुट्स के अंतर्गत सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाना।</p> | <p>उत्तराखण्ड सरकार एवं रुट्स 2 रुट्स गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उ0प्र0 से समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।</p> | <p>महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ।</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 8 | नेशनल स्टॉक एक्चेन्ज मुम्बई द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में संचालित प्रोजेक्ट गौरव। | प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं हेतु प्रोजेक्ट गौरव योजना जिसके अन्तर्गत बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र संवेदीकरण, निशुल्क त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 5000 छात्र/छात्राओं को प्लेसमेन्ट दिया जाना। | उत्तराखण्ड सरकार एवं नेशनल स्टॉक एक्चेन्ज मुम्बई से समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। | महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएँ। |
| 9 | इन्फोसिस बैंगलुरु द्वारा आनलाईन डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम | राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्फोसिस बैंगलुरु के साथ आनलाईन पाठ्यक्रम शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा छात्र/छात्राओं को प्लेसमेन्ट दिया जाना। | उत्तराखण्ड सरकार एवं इन्फोसिस बैंगलुरु से समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित। | राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के 27 प्राध्यापकों को ए0आई0 तथा एम0एल0 का प्रशिक्षण चंडीगढ़ में कराया गया। छात्र/छात्राओं हेतु आनलाईन डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम प्रारम्भ किया जा रहा है। |

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-14

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो (धारा 04(1)ख(xiv))

- सम्प्रति निदेशालय कार्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य के कार्यालयों में आधारभूत सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। निदेशालय कार्यालय में महाविद्यालयों द्वारा तैयार स्टाफ स्टेटमेन्ट कम्प्यूटर में संग्रहित हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो सकते हैं।
- उच्च शिक्षा से सम्बन्धि अन्य जानकारी उच्च शिक्षा की बेवसाईट <https://he.uk.gov.in/> उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित (धारा 04(1)ख(xv))

सूचनाएं आवेदन पर कार्यालय समय (10 AM – 5 PM) में विभिन्न कार्यदिवसों में उपलब्ध होगी।

- सम्प्रति निदेशालय का स्वयं का भवन व परिसर में हैं।
- एन0आई0सी0 की वेबसाइट से भी आवश्यक शासनादेश डाऊनलोड किये जा सकते हैं।
- इस मध्य अपेक्षित सूचनाएं- निदेशालय कार्यालय से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी (उपनिदेशक), हल्द्वानी नैनीताल एवं राजकीय/अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएं, उनके लोक सूचना अधिकारियों (प्राचार्यों) से प्राप्त की जा सकती हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां(धारा 04(1)ख(xvi))

अपीलीय अधिकारी –पदेननिदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम:-

| | |
|--|--|
| निदेशालय स्तर पर- | |
| (1) डा0 आर0 एस0 भाकुनी, लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)। | दूरभाष संख्या- 05946-240555, 9412364210 |

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं राजकीय महाविद्यालयों के अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारियों की सूची

| क्र० सं० | महाविद्यालय का नाम | अपीलीय अधिकारी / प्राचार्य | मोबाइल नं० | लोक सूचना अधिकारी | मोबाइल नं० | ई-मेल आईडी |
|----------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| जनपद नैनीताल | | | | | | |
| 1 | एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी | डॉ० एन०एस० बनकोटी | 9897713778 | डॉ० सुबोध कुमार श्रीवास्तव | 9412996472 | principal@mbpggcollege.org |
| 2 | राजकीय महिला स्नातो० महाविद्यालय, हल्द्वानी | डॉ० आभा शर्मा | 9084486404 | डॉ० बीना जोशी | 7983440419 | ggdchldntl@rediffmail.com |
| 3 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर | डॉ० एम०सी० पाण्डे | 9412958745 | डॉ० सुमन कुमार | 9412958745 | principal_pngrmr@yahoo.co.in |
| 4 | राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी चौखुटा | डॉ० अजरा परवीन | 9411793500 | डॉ० प्रीति त्रिवेदी | 9412906462 | ptdc.doshapani2005@gmail.com |
| 5 | राजकीय महाविद्यालय, कोटाबाग | डॉ० नवीन भगत | 7351052139 | डा० सत्यनारायन भगत | 7895280679 | gdc Kotabaghtl@gmail.com |
| 6 | राजकीय महाविद्यालय, बेटालघाट | डॉ० विनय कुमार | 7906725688 | डॉ० ईप्सिता सिंह | 7060500981 | gdcbetalghat@gmail.com |
| 7 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़ | डॉ० सीमा श्रीवास्तव | 9450622527 | डॉ० मनोज कुमार पन्त | 9456138576 | lbsgdc.2015@gmail.com |
| 8 | राजकीय महाविद्यालय, पतलोत | डॉ० रेखा मेहरा | 9410544151 | डॉ० मन्जू पनेरू | 9410310030 | gdcpatlot@gmail.com |
| 9 | राजकीय महाविद्यालय, मालधन चौड़ | डॉ० सुशीला सूद | 9458812849 | डॉ० गिरीश चन्द्र पन्त | 9410308111 | gdcmaladhan@gmail.com |
| 10 | राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर | डा० संजय कुमार | 9412909600 | डॉ० दीप चन्द्र पाण्डेय | 9411319412 | gdcchaldwani@gmail.com |
| 11 | राजकीय महाविद्यालय रामगढ | डॉ० नागेन्द्र द्विवेदी | 9411539301 | डॉ० माया शुक्ला | 9410333544 | gdcramgarh2021@gmail.com |
| जनपद-बागेश्वर | | | | | | |
| 12 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट | डॉ० मधुलिका पाठक | 9410512036 | डॉ० बी०सी० तिवारी | 9627042032 | kapkotebgr@gmail.com, |
| 13 | राजकीय महाविद्यालय.गरुड़ | डॉ० डी०एन० तिवारी | 8126477516 | डॉ० शिवप्रकाश राय | 9453512772 | principalgdcgarur65@gmail.com |
| 14 | राजकीय महाविद्यालय, काँडा | डॉ० जयचन्द्र गौतम | 9412977739 | डॉ० विनोद कुमार | 9410121127 | gdcanda@rediffmail.com |
| 15 | राजकीय महाविद्यालय, दुर्गनाकुरी | डा० हरिओम प्रकाश सिंह | 9719239945 | डा० प्रफूल गुप्ता | 8533048162 | gugdugnakuri@gmail.com |
| जनपद अल्मोडा | | | | | | |
| 16 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत | डा० पुष्पेश पाण्डे | 9412924624 | डॉ० महिराज मेहरा | 9412926055 | gpgcranikhet1973@gmail.com |
| 17 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट | डॉ० डी० सी० पन्त | 8218501378 | डॉ० अंचलेश कुमार | 8267941752 | gpgcdwarahat@yahoo.com |
| 18 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे | डॉ० आभा अग्रवाल | 9837370972 | डॉ० निर्मला लोहनी | 9410111285 | principalsyalde@gmail.com |
| 19 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला | डॉ० जी० एस० यादव | 9319673751 | डॉ० भावना अग्रवाल | 9458363051 | gdc.manila@gmail.com |
| 20 | राजकीय महाविद्यालय, जैती | डॉ० सन्तोष कुमार | 9412963638 | डॉ० योगेश सिंह राणा | 6395708150 | gdcjainti@gmail.com |
| 21 | राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया | डॉ० शालिनी शुक्ला | 9389314417 | डॉ० प्रभाकर त्यागी | 9997866692 | gdcchauhutia01@gmail.com |
| 22 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर | डॉ० ए०के० जोशी | 9412963898 | प्र० कमला धौ० भारद्वाज | 9917590349 | gdcsoreshwar@gmail.com |
| 23 | राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण | डॉ० शर्मिला सक्सेना | 9045287103 | डॉ० दिनेश कुमार | 7060511683 | gdcbhikiyasen@gmail.com |
| 24 | राजकीय महाविद्यालय, गुरुडाबाँज | डॉ० मनोज कुमार भोज | 9411118920 | डॉ० मंजू चन्द्रा | 9410309610 | gdcgurudabanj@gmail.com |
| 25 | राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट | डॉ० चन्द्रा गोस्वामी | 9634821862 | निधि गोस्वामी | 9650484870 | principalgdcallasult@gmail.com |
| 26 | राजकीय महाविद्यालय, भत्तरोँजखान | डॉ० अजय कुमार | 7500614180 | श्री रविन्द्र कुमार | 7579442719 | gdcbhatronjkan@gmail.com |
| 27 | राजकीय महाविद्यालय, मांसी | डा० अखिलेश कुमार शुक्ला | 9412110247 | डा० गौरव कुमार | 9012388077 | gdcmasi@gmail.com |
| 28 | राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा | डॉ० कमरुद्दीन | 9411130786 | डा० रेनु जोशी | 9411309893 | pracharylmgara@gmail.com |
| 29 | राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत | डॉ० एल०पी० वर्मा | 9412131988 | डॉ० छत्र सिंह कठायत | 9639245447 | gdcshitalkhet@gmail.com |
| 30 | राजकीय महाविद्यालय दन्या | श्री देवराज मिश्र | 9870897970 | डॉ० विपिन चन्द्र भट्ट | 9412907766 | gdcodanya@gmail.com |
| जनपद पिथौरागढ | | | | | | |
| 31 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग | डा० विश्व मोहन पाण्डेय | 9917621223 | श्री ललित चन्द्र | 8958065710 | pgcollegeberinag@gmail.com |
| 32 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणनगर | डॉ० प्रेमलता कुमारी | 9411552044 | डॉ० पंकज कुमार भट्ट | 9412107974 | gdcnaryannagar@yahoo.com |
| 33 | राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट | डॉ० सुभाष वर्मा | 9410168800 | डॉ० संजय कुमार | 9927888272 | gdc9697@rediffmail.com |
| 34 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुनस्यारी | डा० हितेश कुमार जोशी | 9412953910 | श्री दुर्गेश कुमार शुक्ला | 8७7915१० | govtgcmunsayari@gmail.com |
| 35 | राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट | डा० मधुकेश गुप्ता | 9759733605 | डॉ० हेमा मेहरा | 9536580801 | govtdegreecollegegangolihat@gmail.com |
| 36 | राजकीय महाविद्यालय, मुवानी | डा० गिरीश चन्द्र पन्त | 7500071678 | डॉ० सुधीर कुमार | 9897983642 | gdcmuwani@gmail.com |
| 37 | राजकीय महाविद्यालय, गणाई गंगोली | डा० सिद्धेश्वर सिंह | 9412905632 | डॉ० दीप्ति बिष्ट | 8449917577 | gdcganaignangoli@gmail.com |

| जनपद चम्पावत | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|------------|--------------------------|------------|--|
| 38 | राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर | डॉ० अनुपमा तिवारी | 9410374230 | डॉ० सुनील कुमार कटियार | 8126222894 | gdctanakupur@gmail.com |
| 39 | राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, लोहाघाट | डॉ० संगीता गुप्ता | 9359411473 | डॉ० बृजेश्वर प्रसाद ओली | 8958246445 | govtpgcollegehaghata@gmail.com |
| 40 | राजकीय महाविद्यालय, देवीधुरा | डॉ० गीता श्रीवास्तव | 9410775314 | डॉ० दीपक जोशी | 8859136059 | gdcdavidhura2014@gmail.com |
| 41 | राजकीय महाविद्यालय, बनबसा | डॉ० आनन्द प्रकाश सिंह | 9997479436 | डा० भूपनरायन दीक्षित | 9473900123 | gdcbnbasa@gmail.com |
| 42 | राजकीय महाविद्यालय, अमोड़ी | डा० अजीता दीक्षित | 9410718740 | डॉ० संजय कुमार | 8958517835 | gdcamori@gmail.com |
| 43 | राजकीय महाविद्यालय, पाटी | डा० राकेश पाण्डे | 9411107635 | डॉ० धर्मवीर सिंह | 9411842406 | gdcpati2019@gmail.com |
| जनपद रुधम सिंह नगर | | | | | | |
| 44 | राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, खटीमा | डॉ० पंकज कुमार पाण्डे | 9412972968 | डॉ० मनीष बेलवाल | 9557288967 | gpgckhatima@gmail.com |
| 45 | राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, रुद्रपुर | डॉ० ए० एन० सिंह | 9458976967 | डॉ० ए०के० पालीवाल | 8279653641 | gpgc.rdr@gmail.com |
| 46 | राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, काशीपुर | डॉ० सुमिता श्रीवास्तव | 8077919519 | डॉ० कृष्ण कुमार | 9690488687 | rhgpgc@gmail.com |
| 47 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर | डॉ० डॉ० बी० के० सिंह | 9760014796 | डॉ० मनुहार आर्य | 9412996749 | gdcbazpur@rediffmail.com |
| 48 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सितारगंज | डॉ० रेनु रानी बसल | 9837288073 | डॉ० संजय कुमार टम्टा | 8476996304 | gdcsitarjanj@gmail.com |
| 49 | राजकीय महाविद्यालय, किच्छा | डा० राजीव रतन | 9415882929 | डॉ० नरेश कुमार | 9412451665 | gdckichha@gmail.com |
| 50 | राजकीय महिला महाविद्यालय, जसपुर | डॉ० पुष्कर सिंह बिष्ट | 9412996378 | श्री सुरेन्द्र कुमार | 8077130823 | gdccjaspur66@gmail.com |
| 51 | राजकीय महाविद्यालय गदरपुर | डॉ० प्रेम प्रकाश | 7579295022 | श्री प्रमोद वर्मा | 9917041919 | gdccgadarpur@gmail.com |
| 52 | राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता | डा० अन्जला दुर्गापाल | 9412991777 | डा० नवोदिता अवस्थी | 9410758761 | gdccnanakmatta@gmail.com |
| जनपद पौडी | | | | | | |
| 53 | राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, कोटद्वार | डा० डी० एस० नेगी | 7310945831 | डॉ० आर० एस० चौहान | 8630931954 | principal.gpgckotdwar@gmail.com |
| 54 | राजकीय जयहरीखाल महाविद्यालय, जयहरीखाल | डा० लवनीरानी राजवंशी | 9837288073 | डा० राकेश कुमार द्विवेदी | 8787061125 | principal_lansdowne@rediffmail.com |
| 55 | राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल | डॉ० वन्दना तिवारी | 9411312146 | डॉ० अवतार सिंह नेगी | 8755882229 | vedikhal79@gmail.com |
| 56 | राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल | डॉ० मुरलीधर कुशवाला | 9410765553 | डॉ० श्रवण कुमार | 9359648164 | principal.chaubatkhali@gmail.com |
| 57 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैण | डॉ० योगेन्द्र सिंह | 9997272828 | डॉ० विकास प्रताप सिंह | 9454837446 | thalisingdc@gmail.com |
| 58 | राजकीय महाविद्यालय, सतपुली | डॉ० संजय कुमार | 9639639143 | डॉ० कुमार विमल लखटकिया | 8433024324 | satpulgdc2006@gmail.com |
| 59 | राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल | डॉ० मनोज उप्रेती | 9760713251 | डा० सुनील सिंह | 9458900578 | gdcrkhnikhal@gmail.com |
| 60 | राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा | डॉ० इन्दु तिवारी | 9758045218 | डॉ० प्रदीप कुमार वर्मा | 9997910178 | gdccnainidanda@rediffmail.com |
| 61 | राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव | डॉ० संजेश कुमार | 9084776841 | डॉ० सिद्धार्थ रजक | 7895697768 | gdccmajramahadev@gmail.com |
| 62 | राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भाबर | डॉ० हरिश्चन्द्र | 9997803455 | डॉ० अशोक कुमार मित्तल | 9412126961 | gdccotbhabar@gmail.com |
| 63 | राजकीय महाविद्यालय पौखड़ा | श्रीमती विद्या राय | 9149039729 | डा० ऋषि कान्त प्रजापति | 7007601945 | principal.pokhara123@gmail.com |
| 64 | राजकीय महाविद्यालय उफरैखाल | डॉ० अरविन्द सिंह | 9557423237 | डॉ० सतीश चन्द्र जोशी | 9411293708 | gdccuffrainkhal90@gmail.com |
| 65 | राजकीय महाविद्यालय पावौ | डा० सत्य प्रकाश शर्मा | 9412929795 | डा० सौरभ सिंह | 9005259785 | gdccpabau@gmail.com |
| 66 | गुरुगोरख नाथ रा० महा० बिथ्याणी, यमकेश्वर | डा० योगेश कुमार शर्मा | 7500654686 | डा० गिरिराज सिंह | 9997626143 | m.g.g.m.bithyani05@gmail.com |
| 67 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पैठाणी | डा० विजय कुमार अग्रवाल | 9411536583 | डॉ० कुमार गौरव जैन | 9456823369 | gpcollege.paithani2021@gmail.com |
| 68 | राजकीय महाविद्यालय खिर्सू | डॉ० डी० एस० चौहान | 9410922211 | डॉ० देवेन्द्र कुमार | 8926423088 | gdckhirshu21@gmail.com |
| 69 | राजकीय महाविद्यालय कल्जीखाल | डा० के०बी० श्रीवास्तव | 9410307682 | डॉ० राजीव सिंह कनौजिया | 7906654875 | principalgovtcollegekaljikhali@gmail.com |

| जनपद चमोली | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| 70 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर | डॉ० मदन प्रसाद नगवाल | 8077551161 | डॉ० अमित कुमार जायसवाल | 7060191455 | principalgopeshwar@gmail.com |
| 71 | राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर | डॉ० राजेश कुमार, प्रभारी | 9761597307 | डॉ० तरुण कुमार | 9690104110 | lawcollegegpr2013@gmail.com |
| 72 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग | डॉ० राम अवतार सिंह | 9412985991 | डॉ० मानवीरेन्द्र सिंह | 8449825383 | gdc.kpg1979@gmail.com |
| 73 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ | डा० प्रीति कुमारी | 8979767886 | डॉ० गोपाल कृष्ण | 7830839180 | principalgdc.joshimath@gmail.com |
| 74 | राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी | डा० डा० सिराज मोहम्मद | 7017895419 | डॉ० ललिता जोशी | 9627726861 | gdctalwari@yahoo.com |
| 75 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौरसैण | डा० के०एन० बरमोला | 9917047406 | श्री प्रकाश चन्द्र | 7579298154 | gdcgairsain@gmail.com |
| 76 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथपोखरी | डा० रीटा शर्मा | 9149019344 | डॉ० नन्दकिशोर चमोला | 9720505046 | gdcpokhari@gmail.com |
| 77 | राजकीय महाविद्यालय, घाट (नन्दानगर) | डा० विद्या शंकर शर्मा | 9897737850 | डॉ० अब्दुल अहद | 9450136765 | gdcghat@rediffmail.com |
| 78 | राजकीय महाविद्यालय, नन्दासैण | श्री अमर चन्द्र विश्वकर्मा | 9696336084 | डॉ० नीतू दत्त नोटियाल | 8439436500 | gdcnandasain1914@gmail.com |
| 79 | राजकीय महाविद्यालय, नारायणबगड़ | डा० विरेन्द्र सिंह | 8755156469 | डॉ० अनिल कुमार सैनी | 8433189280 | gdcnaranbagar@gmail.com |
| 80 | राजकीय महाविद्यालय देवाल | डा० राम नारायण पाण्डे | 9410562793 | डॉ० विक्रम सिंह | 7060187489 | gdcdeval@gmail.com |
| जनपद रुद्रप्रयाग | | | | | | |
| 81 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि | डॉ० के०सी० दुदपुड़ी | 9634165278 | डॉ० दलीप सिंह | 7060464273 | gpgcagastyamuni@gmail.com |
| 82 | राजकीय महाविद्यालय, जखोली | डा० कु० माधुरी | 9411157134 | देवश चन्द्र | 8979757152 | gdcjakholi@gmail.com |
| 83 | राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग | डा० आशुतोष त्रिपाठी | 9410769711 | डा० जनमोहन सिंह रावत | 9412948487 | principalsrgp@gmail.com |
| 84 | राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी | डॉ० मनोज कुमार गेड़ी | 9719127730 | डा० गंगाराम | 9639806336 | gdcguptakashi@gmail.com |
| जनपद उत्तरकाशी | | | | | | |
| 85 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी | डा० पंकज पंत | 9412912833 | डा० बचन लाल | 7310645993 | gpgcutarkashi@rediffmail.com |
| 86 | राजकीय महाविद्यालय, बडकोट | डा० विनोद कुमार | 9412986331 | डा० अन्जु भट्ट | 9400504608 | principalgdcckt@gmail.com |
| 87 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुरोला | डा० ए०के० तिवारी | 8958538395 | श्री कृष्णदेव रतूड़ी | 9639825252 | gdcपुरोला@gmail.com |
| 88 | राजकीय महाविद्यालय, चिन्मालीसौड़ | डॉ० प्रभात द्विवेदी | 9411384782 | श्री खुशपाल | 8979696336 | gdcchinyalisaur@yahoo.in |
| 89 | राजकीय महाविद्यालय, ब्रह्मखाल | डॉ० आर०एस० असवाल | 9411331480 | डा० सपना कश्यप | 9411715027 | gdcbhrmkhal@rediffmail.com |
| 90 | राजकीय महाविद्यालय मोरी | डा० रामकृपाल वर्मा | 6307119151 | डॉ० आशाराम | 6397274991 | gdcmoni@rediffmail.com |
| जनपद टिहरी गढ़वाल | | | | | | |
| 91 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी | डा० पुष्पा नेगी | 9997017919 | डॉ० दीर्घपाल सिंह भण्डारी | 9412921719 | gpgcollegentt@gmail.com |
| 92 | राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग | डॉ० नर्वदेशवर शुक्ल | 6395146266 | डॉ० लीना पुण्डरी | 8126322198 | onsgdc@gmail.com |
| 93 | राजकीय महाविद्यालय, अगरोड़ा | डॉ० के० एस० जौहरी | 9897018260 | श्री अमित कुमार सिंह | 7500260727 | gdcagrorar1@gmail.com |
| 94 | राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी | डा० महन्ध मौर्या | 8475916837 | सुश्री वंदना | 9389132844 | gdcchandrabadani@gmail.com |
| 95 | राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग | डॉ० मुकेश कुमार | 9997432744 | डॉ० ब्रूस कुमार | 9411511139 | principalgdcnainbagh2001@gmail.com |
| 96 | राजकीय महाविद्यालय, लम्बागांव प्रतापनगर | डॉ० राकेश कुमार | 9557387323 | डॉ० सतेन्द्र कुमार पाण्डेय | 9450305978 | gdclambgaon2001@gmail.com |
| 97 | राजकीय महाविद्यालय, थत्तूड | डॉ० विजेन्द्र लिंगवाल | 9149087818 | डॉ० रवि चन्द्रा | 9719641799 | gdcttyr123@yahoo.in |
| 98 | राजकीय महाविद्यालय, पौखाल | डॉ० सुरेश चन्द्र | 9456335218 | डॉ० अनुरोध प्रभाकर | 7441711110 | gdcpokhal.123@gmail.com |
| 99 | राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर | डॉ० प्रणीता नन्द | 9897132777 | डॉ० राजपाल सिंह रावत | 9897132777 | gdcnarendranagar@gmail.com |
| 100 | राजकीय महाविद्यालय, पोखरी, पट्टी क्वीली | डा० शशिवाला वर्मा | 9412038799 | डॉ० दिनेश प्रताप सिंह | 7579112328 | gdcpokhritehri@yahoo.com |
| 101 | राजकीय महाविद्यालय, पावकी देवी | डा० छाया चतुर्वेदी | 9897312155 | डा० नीलू कुमारी | 9411339921 | gdc pawkidevi@gmail.com |
| 102 | राजकीय महाविद्यालय, कमांद | डॉ० गौरी सेवक | 9411106551 | डॉ० दीपक राणा | 9897788009 | gdc kamaand2016@gmail.com |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| 103 | राजकीय महाविद्यालय खाडी | डा० ए०के० सिंह | 9412138159 | डा० निरंजना शर्मा | 9411748400 | gdckhari21@gmail.com |
|-----|-------------------------|----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|

जनपद देहरादून

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| 104 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर | डा० दलीप सिंह | 9411145096 | डा० अरविन्द कुमार अवस्थी | 9411141127 | gdcdakpathar@gmail.com |
| 105 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला | डा० देवेश प्रसाद भट्ट | 8923093454 | डा० नवीन कुमार नैथानी | 9411139155 | degreecollegedoiwala@gmail.com |
| 106 | राजकीय महाविद्यालय, चकराता | डा० आशुतोष शरण | 9634653044 | श्री यशवीर सिंह रावत | 9410923181 | principalgdchakrata2014@gmail.com |
| 107 | राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी | डा० मृत्युजय कुमार सिन्हा | 7488099382 | डा० पवन कुमार | 9412151069 | gdctyuni2006@gmail.com |
| 108 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर | डा० विनोद प्रकाश अग्रवाल | 8445471481 | डा० शैलेन्द्र कुमार | 9456203223 | raipurgcd@gmail.com |
| 109 | राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर | डा० कुलदीप सिंह | 9412079546 | डा० पंकज बहुगुणा | 8755691323 | gdcddehradun2021@gmail.com |

जनपद हरिद्वार

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|
| 110 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लक्सर | डा० बी० एन० शर्मा | 9412409074 | डा० सीमा चौधरी | 9412117360 | gdclaksar2001@rediffmail.com |
| 111 | राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर | डा० रीता सचान | 9411745930 | डा० अनिल कुमार | 9456131038 | gdcmrgbpr@gmail.com |
| 112 | राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर | डा० तीर्थ प्रकाश | 9410109140 | डा० राम भरोसे | 9526831669 | gdcmir247656@gmail.com |
| 113 | राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला | डा० चन्द्र पाल सिंह | 9557498950 | डा० अब्दुल अलीम अन्सारी | 7017889074 | gdccchuriyala2014@gmail.com |
| 114 | राजकीय महाविद्यालय, खानपुर | डा० आदित्य कुमार मोर्य | 8791864563 | डा० नवोदिता प्रियदर्शनी | 9412474517 | govtdckhanpur@gmail.com |
| 115 | राजकीय महाविद्यालय, भूपतवाला | डा० संजीव मेहरोत्रा | 9837041913 | श्री अजय प्रसाद उनियाल | 9412946692 | gdcbhupatwala@gmail.com |
| 116 | राजकीय महाविद्यालय, मिठीबेरी | कु० अर्चना गौतम | 7060031752 | डा० अरविन्द वर्मा | 8979272080 | govtmodelcollegemeethiberi@gmail.com |

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी एवं उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 117 | उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, नैनीताल | डा० विश्वनाथ खाली | 9997686960 | डा० आर० एस० भाकुनी | 9412364210 | highereducation.director@gmail.com |
| 118 | उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून | डा० ए०एस० उनियाल | 9412084044 | डा० ममता ड्यूंडी नैथानी | 9412968483 | jdhedehradun@gmail.com |

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या-17

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय (धारा 04(1)ख(xvii))

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कई सूचनाएं एवं गतिविधियों की जानकारी उच्च शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट <https://he.uk.gov.in/> पर उपलब्ध है, जिसे वहा देखा जा सकता है।